मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजना अंतर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 अप्रैल 2008—चैत्र 26, शक 1930

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस-एक.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में फीस के निर्धारण से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्था में फीस के निर्धारण के लिए विनियम, 2008 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** :—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007);

(ख) "प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति" से अभिप्रेत है व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;

(ग) "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इस निमित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी;

(ङ) "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबंद्ध हो जिसमें राज्य विधान मण्डल अधिनियम के द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यताप्राप्त हो;

(च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है.

3. **लागू होना.**—ये विनियम अधिनियम के अधीन आने वाली व्यावसायिक संस्थाओं पर लागू होंगे.

4. **फीस के निर्धारण के लिए मानदण्ड.**—समिति निम्नलिखित कारणों पर विचार करने के पश्चात् विहित रीति में फीस निर्धारित करेगी;—

(क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की अवस्थिति;

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;

(ग) भूमि और भवन की लागत;

(घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द और उपस्कर;

(ङ) प्रशासन तथा संधारण पर व्यय;

(च) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिये अपेक्षित युक्तियुक्त अधिशेष;

(छ) कोई अन्य सुसंगत कारण :

परन्तु समिति, इन क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के संवर्धन के लिए पिछड़े/अविकसित क्षेत्र विकास के लिए अधिमान प्रत्यायित पाठ्यक्रम या गुणवत्ता प्रमाणन (क्वालिटी प्रमाणन) जैसे आई. एस. ओ. 9002 आदि या अधिमान को प्रोत्साहन देने के लिए भी विनिश्चय कर सकेगी.

5. **फीस निर्धारण की प्रक्रिया.**—(1) प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रारंभ में अर्थात् प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास में, समिति आने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए फीस के निर्धारण के संबंध में आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी करेगी.

(2) समिति, विभिन्न कारकों को अधिभार देने के लिए अपनी स्वयं की फीस निर्धारण प्रक्रिया तय कर सकेगी.

(3) समिति द्वारा प्रत्येक संस्था को, उसकी फीस संरचना को अंतिम रूप देने हेतु सुना जाएगा.

(4) समिति, सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था या डीम्ड विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा करेगी कि वह विज्ञापन में विहित तारीख तक निवेदन करे. कोई नई व्यावसायिक संस्था, जिसने उपरोक्त विहित तारीख के पश्चात् समुचित प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त की है, अंतरिम फीस निर्धारित करने हेतु तथा इसके पश्चात् समिति द्वारा निर्धारित कलैण्डर वर्ष और प्रक्रिया के अनुसार अंतिम फीस संरचना हेतु समिति के पास जाना चाहिए.

(5) आवेदन-पत्र समिति द्वारा विहित प्ररूप में किया जाएगा तथा उसमें निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे:—

(एक) व्यावसायिक अध्ययन जैसे ए. आई. सी. टी. ई., एन. सी. टी. ई., बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सा परिषद् (मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया) तथा इसी प्रकार के अन्य को नियंत्रित तथा विनियमित करने वाले अखिल भारतीय निकाय द्वारा जारी किया गया प्राधिकार/अनुज्ञा-पत्र;

(दो) सोसाइटी तथा उसकी उपविधियों से संबंधित दस्तावेज एवं जानकारी;

(तीन) व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रारंभ करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रतिवेदन) की एक प्रति;

(चार) संस्था, उसके हक, स्वामित्व, क्लास रूम की संख्या दर्शाते हुए भवन, प्रशासकीय खण्ड, पुस्तकालय, वाचनालय, अंतर्वासी खेल (यदि कोई हो), के लिए उपलब्ध कक्ष, खेल मैदान, प्रयोगशालाएं तथा साइट प्लान के साथ अन्य सामान्य उपयोगिता के लिए चिन्हित क्षेत्र द्वारा उपलब्ध भौतिक अवसंरचना सुविधाएं;

(पांच) पुस्तकालय सुविधा—विषयवार, संकायवार तथा सामान्य अध्ययन के लिए पुस्तकों की संख्या;

(छह) वाचनालय सुविधाएं—दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाओं, सामयिक व्यावसायिक पत्रिकाओं की संख्या तथा संस्था में अभिदत्त साहित्य;

(सात) प्रयोगशाला की सुविधाएं—प्रयोगशाला में उपलब्ध उपस्करों तथा उपकरणों के विषय में जानकारी;

(आठ) अध्यापन संकाय—आचार्यों, रीडर्स (उपाचार्य) कनिष्ठ, वरिष्ठ तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान प्राध्यापकगण (पृथकतः उपदर्शित होंगे) की संख्या, उनके नाम शैक्षणिक अर्हताएं तथा उनके जीवनवृत, वेतनमान, वेतन तथा भत्ते और कुल परिलब्धियां;

(नौ) संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित शिक्षा के समान मदों के उत्पादन में लगे अन्य प्रतिष्ठान, लोक/निगमित निकाय के साथ अनुबंध, यदि कोई हों;

(दस) वित्तीय स्थिति:—

(1) किसी वर्ष के लिए संस्था के वार्षिक प्रस्तावित बजट;

(2) अवसंरचना के वार्षिक संधारण के लिए अपेक्षित रकम;

(3) प्रयोगशालाओं की वृद्धि, विस्तार तथा उन्नयन के लिए अपेक्षित रकम;

(4) निक्षेप संस्थाओं के नाम के साथ संस्था के नाम से तथा बैंकों के नाम से सावधि तथा चालू दोनों जमा खाते में किया गया निक्षेप;

(5) वित्तीय स्त्रोत; और

(6) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार, यदि कोई हों, अवधि तथा उस पर लगने वाले देय ब्याज को दर्शाते हुए;

(ग्यारह) प्रारंभ की तारीख से चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यकरूप से अधिप्रमाणित संस्था का तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा.

(बारह) निवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना के समर्थन में विहित प्ररूप में शपथ-पत्र.

(6) समिति द्वारा समय-समय पर अधिकथित की गई प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) फीस निवेदन के साथ जमा की जाएगी. प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) फीस के बिना कोई निवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा.

(7) जानकारी प्राप्त होने के पश्चात्, समिति या तो स्वयं संस्था का निरीक्षण करेगी या घटना स्थल पर निर्धारण या निवेदन में वर्णित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण दल का गठन कर सकेगी.

(8) समिति द्वारा गठित निरीक्षण दल में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(क) एक विख्यात शिक्षाविद जो संबंधित पाठ्यक्रम जिसकी फीस निर्धारित की जाना है, के कम से कम प्राचार्य अथवा आचार्य स्तर के हों समिति द्वारा अनुमोदित पेनल से प्रवेश तथा विनियामक समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(ख) विख्यात चार्टेड एकाउंटेंट जिसे शिक्षण संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा करने का अनुभव हो—सदस्य.

(ग) समिति सचिवालय का एक अधिकारी जो समिति के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण दल के सदस्य सचिव के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा.

(9) निरीक्षण दल कोई अभिलेख, जब वह आवश्यक समझे, मंगा सकेगा तथा अभिलेख मंगाने के लिए अभ्यपेक्षा लिखित में की जाएगी और यह माना जाएगा मानों वह समिति द्वारा मांगा गया है.

(10) निरीक्षण दल संस्था के कार्यकलाप से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों से मौखिक साक्ष्य की वांछा कर सकेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्य के लिखित अभिलेख, निरीक्षण दल द्वारा रिपोर्ट के भाग होंगे.

(11) अध्यापकों, छात्रों आदि का कोई संघ भी अपना निरीक्षण दल को याचिका के माध्यम से प्रति निवेदन कर सकता है. निरीक्षण दल इनकी सुनवाई करेगा और अपने विचारों सहित समिति को याचिका अग्रेषित करेगा.

(12) निरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात् निरीक्षण दल अपनी रिपोर्ट समिति सचिवालय में सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी को प्रस्तुत करेगा. सचिव रिपोर्ट की संवीक्षा करेगा और उसे समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा.

(13) यदि अध्यक्ष यह महसूस करे कि निवेदन का और अन्वेषण किया जाना आवश्यक है, तो वह यह रिपोर्ट तथा दस्तावेजों की, इस प्रयोजन के लिए समिति द्वारा मेहनताना देकर लिए गए चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा संवीक्षा तथा सत्यापन कराया जाए.

(14) समिति, निवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, निरीक्षण टीम द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट, चार्टेड एकाउंटेंट की सत्यापन रिपोर्ट तथा समिति सचिवालय द्वारा किए गए निर्धारण पर विचार करेगी.

(15) समिति, तब विनिश्चय करेगी कि उस संस्था द्वारा प्रस्तावित फीस न्यायोचित है, तथा लाभ प्राप्त करने अथवा कैपिटेशन फीस के रूप में प्रभारित नहीं है. समिति, प्रस्तावित फीस संरचना को अनुमोदित करने अथवा कोई अन्य फीस विनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र होगी जो संस्था द्वारा प्रभारित की जा सकेगी.

(16) समिति, उन संस्थाओं की, जिन्होंने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं, फीस तय करने के लिए स्वतंत्र होगी.

(17) संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न आंकड़े/जानकारियों तथा दस्तावेजों की जांच के लिए चार्टेड एकाउंटेंट फर्म नियुक्त की जा सकेगी तथा यथा उल्लिखित कार्य संपादित करने हेतु कहा जा सकेगा.

(18) संस्था द्वारा विहित प्रोफार्मा में प्रस्तुत प्रस्तावित फीस के साथ चाही गई जानकारी की गणितीय शुद्धता, पूर्णता तथा अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने की जांच की जाएगी.

(19) प्रस्तुत की गई जानकारियों की, उसके साथ प्रस्तुत की गई संपरीक्षा रिपोर्ट और साथ ही न्यास एवं सोसायटी के अंतिम लेखा के संदर्भ में भी जांच की जाएगी.

(20) संपरीक्षा रिपोर्ट में दी गई अर्हता तथा प्रतिकूल टीका-टिप्पणी या लेखाओं की टीप पर भी विचार किया जाएगा तथा उसके अनुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा.

(21) एक से अधिक संस्था संचालित करने वाले सोसाइटी/न्यास द्वारा उपगत सामान्य खर्च के अनुपात में विशेष अवधारण दिए जाएंगे.

(22) संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/आंकड़े/दस्तावेजों की जांच समिति द्वारा इसके अधीन स्थापित नियमों के संदर्भ में की जाएगी और जब कभी आवश्यक हो फीस का निर्धारण किया जाने के लिए संस्था द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में समायोजन किया जाएगा.

(23) उक्त संवीक्षा में जांच के आधार पर प्राप्त अनियमितता का उनकी गंभीरता के लिए सत्यापन किया जाएगा और जहां आवश्यक हो, सोसाइटी/ट्रस्ट/संस्था को उक्त अनियमितता के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकेगा. उस दशा में जहां समिति यह पाती है कि उपरोक्त अनियमितता की मात्रा अत्यधिक है, जो फीस निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, तो वह आवेदन को नामंजूर कर सकेगी और ऐसी सोसाइटी/ट्रस्ट/संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी कर सकेगी.

(24) समिति, संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी और जहां आवश्यक समझे संस्था द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगी.

(25) समिति संस्था द्वारा फीस का निर्धारण करेगी जिसमें एक वर्ष में संस्था को देय समस्त फीस सम्मिलित होगी.

(26) जहां संस्था द्वारा प्राप्त जानकारी अपूर्ण या अपर्याप्त हो, वहां समिति संस्था को उसमें सुधार करने के लिए कह सकेगी, जिसके अभाव में समिति को समुचित अनुमान/उपबंध करने के पश्चात् उनकी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा.

(27) समिति सचिवालय फीस को अंतिम रूप देने की उचित प्रणाली प्रस्तुत करेगी और उससे संबंधित समस्त अभिलेख 5 वर्ष की कालावधि के लिए संधारित करेगी.

6. **फीस संरचना के घटक.**—(1) समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली फीस के निम्नलिखित घटक होंगे:—

(क) शिक्षण फीस (ट्यूशन फीस);

(ख) ग्रोथ तथा विकास फीस;

(ग) रजिस्ट्रीकरण फीस;

(घ) बुक-बैंक से अंशदान;

(ङ) बस फीस/प्रभार्य;

(च) प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास कैरियर गाइडेंस तथा प्लेसमेंट सेल;

(छ) चिकित्सा बीमा फीस;

(ज) खेलकूद फीस;

(झ) सांस्कृतिक गतिविधियों की फीस;

(ञ) परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड फीस;

(ट) छात्रावास कक्ष भाड़ा (केवल हॉस्टलर्स के लिए);

(ठ) मैस चार्ज (केवल हॉस्टलर्स के लिए);

(ड) संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए कॉशनमनी;

(ढ) विश्वविद्यालय फीस संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किए गए अनुसार लागू होगी;

(ण) कोई अन्य फीस जो समिति द्वारा उपयुक्त समझी जाए.

(2) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था फीस या निक्षेप या किसी भी प्रयोजन के लिए संगृहीत की गई अन्य राशि के लिए प्राधिकारिक रसीद जारी करेगी.

(3) कोई भी महाविद्यालय किसी अभ्यर्थी से एक वर्ष से अधिक की फीस वसूल नहीं करेगी. तथापि, छात्रों को वार्षिक फीस अधिकतम दो किस्तों में जमा करने की स्वतंत्रता होगी. किसी शैक्षणिक वर्ष में एक वर्ष से अधिक की फीस ली जाना केपिटेशन फीस वसूल करने के रूप में माना जाएगा तथा ऐसी संस्थाएं वैधानिक कार्यवाही के लिए दायी होंगी.

7. **समिति द्वारा निर्धारित फीस की वैधता.**—(1) प्रत्येक संस्था के लिए प्रतिछात्र प्रतिवर्ष देय फीस समिति द्वारा विहित की जाएगी तथा 3 वर्ष की कालावधि के लिए बाध्यकारी होगी. कोई भी पुनरीक्षण 3 वर्ष के पश्चात् ही अनुज्ञेय होगा. इस प्रकार अवधारित की गई फीस किसी संस्था में उस शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने वाले छात्र को लागू होगी तथा उक्त संस्था में उसके द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने तक पुनरीक्षित नहीं की जाएगी.

(2) जब कभी भी किन्हीं कारणों से अपील प्राधिकारी अस्तित्व में न हो, तो राज्य सरकार, समिति द्वारा प्रस्तावित फीस के संबंध में शिकायतों को सुन सकेगी तथा फीस संरचना यदि आवश्यक हो, में किसी भी पुनरीक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करने के लिए समस्त सुसंगत अभिलेखों को मंगा सकेगी.

8. **केपिटेशन फीस का प्रभारित किया जाना.**—तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसी संस्था का प्रबन्धक हो या ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो, उससे या उसके संबंध में, किसी विद्यार्थी के प्रवेश के प्रतिफल स्वरूप तथा किसी अध्ययन पाठ्यक्रम के अग्रसर या उसके उच्चतर स्तरमान के प्रोन्नति या ऐसी संस्था में श्रेणी हेतु या ऐसी संस्था में उच्चतर मानक या वर्ग की प्रोन्नति हेतु कोई केपिटेशन फीस नहीं मांगी जाएगी या संगृहीत नहीं की जाएगी.

9. **शिकायतों का प्रतितोषण तथा दण्ड/अनुशासनिक कार्रवाई.**—(1) समिति, इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रवेश, केपिटेशन फीस या अवधारित की गई फीस से अधिक फीस के संग्रहण के संबंध में शिकायतों को सुन सकेगी, और यदि समिति जांच के पश्चात् यह पाती है कि सहायता न पाने वाले व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्था की ओर से प्रवेश के उपबंधों का अतिक्रमण किया गया है, तो वह संबंधित व्यक्ति को, संगृहीत की गई अधिक रकम की वापसी के लिये समुचित अनुशंसा करेगी और सरकार को दस लाख रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित करने के लिये भी अनुशंसा करेगी तथा सरकार ऐसी अनुशंसा की प्राप्ति पर, प्रत्येक ऐसे अतिक्रमण की दशा में जुर्माने को निर्धारित करेगी और उसे संगृहीत करेगी या ऐसी अन्य कार्रवाई के लिये विनिश्चय करेगी, जैसा कि वह उचित समझे और इस प्रकार नियत की गई रकम उस पर ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जावेगी और समिति किसी विशिष्ट महाविद्यालय या संस्था में किन्हीं या समस्त स्थानों के संबंध में दिये गये प्रवेश को गुणागुण के विपरीत तथा अविधिमान्य घोषित कर सकेगी तथा संबंधित विश्वविद्यालय को इसे संसूचित करेगी तथा विश्वविद्यालय, ऐसी संसूचना की प्राप्ति पर, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित करेगा एवं पूर्व में दी गई परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर देगा.

(2) समिति का यदि यह समाधान हो जाता है कि सहायता न पाने वाले किसी निजी व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया है, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे महाविद्यालय या संस्था की मान्यता समाप्त की जा सकेगी तथा अन्य कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जैसी कि वह उचित समझे.

10. **समिति की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति.**—समिति को, उसके कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले समस्त मामलों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जबकि वह किसी वाद में विचारण कर रही हो, सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी, जब तक कि निम्नलिखित मामलों के विषय में वाद का विचारण चल रहा हो, अर्थात्:—

(एक) किसी साक्षी को समन करना तथा हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(दो) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना;

(तीन) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना;

(चार) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

11. **निर्वचन.**—यदि इन विनियमों के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

12. **अधिकारिता.**—किसी भी विवाद की दशा में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, निजी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश के निर्धारण के लिए विनियम, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

Bhopal, the 15th April 2008

No. F. 14-17-2007-XLII-1.— In exercise of the powers conferred by the Section 13 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government hereby makes the following regulations relating to the fixation of fee in a private unaided Professional Institutions, namely:—

REGULATION

1. **Short title and Commencement.**—(1) These regulations may be called as Regulations for Fixation of fee in a Private unaided Professional Institution Regulation, 2008.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette.".

2. **Definitions.**—In these regulations unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007);

(b) "Admissions and Fee regulatory Committee" means the Committee constituted by the State Government under the provisions of the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional Educational institution;

(c) "AICTE" means All India Council for Technical Education a statutory body established by All India Council for Technical Education Act, 1987.

(d) "Competent Authority" means any authority as authorized by the State Government in this behalf;

(e) "Professional Educational Institution" means a College or a School or an institute by whatever name called, imparting professional Education, affiliated to a State University, including a private

University established or incorporated by an Act of the State Legislature or constituent unit of a deemed to be University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and approved or recognized by the competent statutory body regulating professional education;

(f) The words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Applicability.**—These regulations shall be applicable to professional institutions covered under the Act.

4. **Criteria for fixation of fee.**—The Committee shall prescribe the fee in the manner after considering the following factors:—

(a) the location of the private unaided professional educational institutions;

(b) the nature of the professional course;

(c) the cost of land and building;

(d) the available infrastructure, teaching, non teaching staff and equipments;

(e) the expenditure on administration and maintenance;

(f) a reasonable surplus required for growth and development of the professional institution;

(g) any other relevant factor:

Provided that the Committee may also decide for providing incentive to the accredited course or Quality Certification like ISO:9002 etc. or weightage for backward/less area development for promoting professional educational institutions in these areas.

5. **Procedure for fixation of fee.**—(1) At the beginning of each calendar year, that is in the month of *January* of each year the Committee shall issue an advertisement inviting applications in regard to determination of fees for admission in professional education institution for *forthcoming academic session.*

(2) The Committee may evolve its own procedures for giving inter se weightage to the different parameter for fixation of fee.

(3) Each institution shall be heard by the Committee for finalization of its fee structure.

(4) The Committee shall require a private unaided professional educational institution or, a deemed University to make submissions by the date prescribed in the advertisement. Any new professional institution that gets permission from appropriate authority after aforesaid prescribed dates should approach the committee for fixing their interim fee and thereafter for final fee structure as per calendar and procedure fixed by the Committee.

(5) The submission shall be made in the form prescribed by the Committee and shall be accompanied with the following documents,—

(i) The authorization/permission letter issued by the All India body controlling and regulating the professional studies e. g. the A. I. C. T. E., N. C. T. E., Bar Council of India, Medical Council of India and the like ones;

(ii) Documents and information relating to society and its by-laws;

(iii) A copy of Project Report for starting the professional educational institution;

(iv) The physical infrastructure facilities available by the area earmarked for the institution, its title, owenership, the buildings stating the number of classrooms the administrative block rooms available for library, reading room, indoor games (if any) playgrounds, laboratories, general utilities etc. together with the site plan.

(v) Library facilities-number of books subjectwise, facultywise and for general reading;

(vi) Reading room facilities-number of dailies, weeklies, monthly magazines, periodical professional magazines and literature subscribed in the institution;

(vii) Laboratory facilities-Information regarding Equipments and instruments available and in the laboratory;

(viii) Teaching Faculty-Number of Professors, Readers, Lecturers in junior, senior and selection scale (to be indicated separately), their names, educational qualifications and their bio-data, pay scale, pay and allowances and total emoluments;

(ix) Tie up, if any, with a State enterprise public/corporate body engaged in production of items similar to the education proposed to be imparted by the institution;

(x) Financial standing,—

(1) Proposed budget of the institution for a year;

(2) Amount required for annual maintenance of infrastructure;

(3) Amount required for growth, development and up gradation of laboratories;

(4) Deposits-both fixed and current deposits in the name of the institution along with the names of institutions and names of Banks;

(5) Sources of funding; and

(6) Loans, if any, from the banks, other financial institutions, indicating the term and the interest payable thereupon.

(xi) Balance sheet and Income and Expenditure Account of the institution from the date of inception duly authenticated by a Chartered Accountant.

(xii) An affidavit in the prescribed form in support of the information furnished in the submission.

(6) A processing fee, as laid down by the Committee from time to time, shall be deposited along with the submissions. Any submission without processing fee shall not be entertained.

(7) After the receipt of the information, the Committee may, either at its own motion inspect the institution, or constitute an Inspection Team to make an on the spot assessment and verification of the facts mentioned in the submission.

(8) The inspection team, as constituted by the Committee shall consist of,—

(a) an eminent educationist of the rank of Principal of a college or professor concerned with the relevant course for which fee fixation is sought shall be nominated by the Chairman. Admission and Fee Regulatory Committee from a panel approved by the Committee.

(b) a chartered accountant of repute, who is versed with auditing of the accounts of educational institutions—member

(c) an Officer from the Secretariate of Committee Secretariat to be nominated by the Chairman of the Committee as Member Secretary of inspection team.

(9) The Inspection Team may call for any record, which it considers necessary and a requisition calling for the record shall be made in writing and shall be treated as if it is called by the Committee.

(10) The inspection team may seek oral evidence from any of the persons concerned with the affairs of the Institution and a written record of such oral evidence shall form part of the report by the Inspection Team.

(11) Any association of teachers, students etc. may through a petition make counter submissions to the Inspection Team. The Inspection Team may hear them and forward the petition to the Committee along with their views.

(12) After completion of the Inspection the Inspection Team shall submit its report to the Secretary/OSD in the Committee Secretariat. The Secretary shall scrutinize the report and submit it to the chairman of Committee.

(13) If the Chairman feels that the submissions need further analysis he may order the Report and the documents to be scrutinized and verified by a chartered accountant hired by the Committee for this purpose.

(14) The Committee shall consider documents accompanying the submissions, the Inspection Report submitted by the Inspection Team, the verification report of the Chartered Accountant and the assessment made by the Committee Secretariat.

(15) Committee shall then decide whether the fees proposed by that institute are justified and are not profiteering or charging capitation fee. The Committee shall be at liberty to approve the fee structure or to decide some other fee which can be charged by the institute.

(16) Committee shall be at liberty to fix the fee of those institutions which do not submit their proposals to the Committee.

(17) For checking various data/information and documents furnished by the Institutions a chartered accountant firm may be appointed and may be asked to perform the work as mentioned.

(18) Fee proposed by institution on prescribed proforma with desired information shall be checked for arithmetical accuracy, completeness and furnishing of required documents.

(19) The information furnished shall also be checked with reference to the Audit Reports submitted therewith as well as the final accounts of the trust/society.

(20) Qualifications and adverse observations in the Audit Reports or Notes to Accounts shall also be considered and necessary adjustment be made in the proposals submitted by the Institutions in accordance therewith

(21) Special emphasis be given on the apportionment of common cost incurred by the society/trust running more than one institutions.

(22) The information data documents submitted by the Institutions shall further be checked with reference to the norms established hereunder and wherever necessary adjustments shall be make to the data furnished by the Institutions for arriving at the fee to be fixed.

(23) Irregularities found on the basis of the above said scrutiny shall be verified for their gravity and wherever necessary the society/trust/institution may be asked to submit its representation in respect of the said irregularity. In case where the committee finds that the irregularity is of such magnitude as will vitiate the process of fee fixation, it may reject the application and may also proceed to take penal action against such society/trust/institution including prosecution.

(24) Committee shall give an opportunity of hearing to the Institutions and further wherever found necessary the Institutions may be visited for ascertaining the correctness of the information and data submitted by the Institutions.

(25) The Committee shall fix the fee including all the fees payable to the institution for a year.

(26) Where information received from institution is incomplete or insufficient, the committee shall ask the institutions to rectify the same failing which Committee shall have the right to fix their fees after making suitable assumptions/provisions.

(27) The Committee secretariat shall evolve proper system of finalization of fees and shall maintain all record related with it for a period for 5 years.

6. **Components of fee structure.**—(1) The fee fixed by the Committee shall have the following components :—

(a) Tuition fee;

(b) Growth and development fee;

(c) Registration fee;

(d) Contribution from book bank;

(e) Bus fee/charges;

(f) Training and entrepreneurship development career guidance and placement cell;

(g) Medical insurance fee;

(h) Sports fee;

(i) Fee for cultural activities;

(j) Identity and Library card fee;

(k) Hostel Room rent (only for hostellers);

(l) Mess charges (only for hostellers);

(m) Caution money for the entire course;

(n) University fee shall be applicable as decided by the concerning University from time to time;

(o) Any other fee considered reasonable by the Committee.

(2) Every Educational institution shall issue an official receipt for the fees or deposits or any other amounts collected for any purpose, which shall be specified in such receipt.

(3) No College shall collect a fee amounting to more than one year's fee from a candidate. However the students shall have the liberty to deposit the annual fee in maximum two instalments. Collection of more than one year's fee in an academic year shall be construed as collection of capitation fee and such institutions shall be liable to be proceeded against.

7. **Validity of the fees fixed by the Committee.**—(i) The fee payable per student per annum for each institution shall be prescribed by the Committee and shall be binding for a period of 3 years. Any revision is permissible only after 3 years. The fee so determine shall be applicable to a candidate who is admitted to an institution in that academic year and shall not be revised till the completion of his/her course in the said institution.

(ii) When ever appellant authority is not in existence for the reason what so ever the State Government may hear the complaint regarding fee proposed by the committee and may call all the relevant records to pass appropriate order, if necessary, for any revision of fee structure.

8. **Charging of capitation fees.**—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no capitation fee shall be demanded or collected by or on behalf of nay educational institution or by any persons who is in-charge of, or is responsible for, the management for such institution, from or in relation to any students in consderation of his/her admission to, and prosecution of any course of study, or his/her promotion to a higher standard or class in such institution.

9. **Redressal of complaints and penal/disciplinary action.**—(1) The Committee may hear complaints with regards to admission in contravention of the provisional contained herein collecting of capitation fee or fee in excess of fee determined any violation of the provisions for admission on the part of the unaided professional colleges or institution, it shall make appropriate recommendations for returning any excess amount collected to the person concerned, and also recommend to the Government for imposing a fine upto rupees ten lakhs, and the Government may on receipt of such recommendation, fix the fine and collect the same in the case of each such violation or decide any other course of action, as it deem fit, and the amount so fixed together with interest thereon shall be recovered as if it is an arrear of land revenue, and the committee may also declare admission made in respect of any or all seats in a particular college or institution to be debors merit and therefore invalid and communicate the same to the concerned University and on the receipt of such communication, the University shall debar such candidates from appearing in the examination and cancel the results of examination already appeared for.

(2) The Committee may if satisfied that any unaided professional college or institution has violated any of the provision of this Act. In that case, after obtaining previous approval from the State Government, the recognition of such college or institution may be annuled and may impose any other penalty, as it may deem fit.

10. **Power to regulate the procedure of the Committee.—** The Committee shall have the power to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its functions and shall for the purpose of making any enquiry under this Act have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(i) Summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(ii) requiring the discovery and production of any document;

(iii) receiving evidence on affidavits;

(iv) issuing commissions for the examination of witness.

11. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these regulations it shall be referred to Government whose decision there on shall be final.

12. **Jurisdiction.**—In case of any dispute the jurisdiction shall be limited to the courts constituted and situated in Madhya Pradesh only.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAMIM UDDIN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस-एक.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सहायता न पाने वाले निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (जिसमें विदेश या अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवेश नियम, 2008 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);

(ख) "**समुचित प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 की खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;

(ग) "**प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति**" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;

(घ) "**ए.आई.सी.टी.ई.**" से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;

(ङ) "**उपाबंध**" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(च) "**सामान्य प्रवेश परीक्षा**" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;

(छ) "**सक्षम प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(ज) "**फीस**" से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(झ) "**अनिवासी भारतीय**" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ङ) में उसके लिए दिया गया है;

(ञ) "**प्राचार्य**" से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;

(ट) "**सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था**" से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ठ) "**व्यावसायिक शिक्षण संस्था**" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ड) "**अर्हकारी परीक्षा**" से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने हेतु हकदार होता है;

(ढ) "**एकल खिड़की प्रणाली**" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

(ण) "**व्यापम**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;

(त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिये दिया गया है.

3. लागू होना.—ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा-अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं.

4. **प्रवेश नियम.**—वर्ष 2008-09 से आगे के लिए प्रवेश नियम—

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

(1) **स्थानों की उपलब्धता.**—(क) विभिन्न व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा-अनुमोदित स्थानों की संख्या सामान्य प्रवेश परीक्षा की बुकलेट में दी जाएगी;

(ख) यदि परामर्श (काउन्सलिंग) के दौरान किसी संस्था को अनुज्ञा दी जाती है या उस वर्ष 30 जून को या उसके पूर्व किसी संस्था में स्थानों की संख्या में समुचित प्राधिकारी द्वारा फेरफार किया जाता है, तो उन्हें परामर्श के समय जोड़ा जा सकेगा और ऐसे अभ्यर्थी जो अंतर्ग्रहण क्षमता में परिवर्तन के पूर्व ही प्रवेश ले चुके हैं, नए स्वीकृत किए गए स्थानों में प्रवेश के लिए हकदार नहीं होंगे.

(2) **स्थानों का आवंटन/आरक्षण.**—प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिए, जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, क्रमशः आरक्षित रखे जाएंगे.

(3) **प्रवेश के लिए पात्रता.**—राज्य सरकार तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार.

(4) **प्रवेश की रीति.**—राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, प्राधिकृत अधिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा.

5. **सामान्य प्रवेश परीक्षा संचालित करना.**—(1) राज्य सरकार, सामान्य प्रवेश परीक्षा का संचालन करने हेतु एक अधिकरण नियुक्त करेगी. अधिकरण राज्य में बहु-प्रसारण होने वाले दैनिक समाचार-पत्र में तथा बहु-प्रसारण होने वाले राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार-पत्रों में भी विज्ञापन जारी करेगा. प्रकाशन हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों समाचार-पत्रों में होगा. विज्ञापन में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी:—

(क) आवेदन करने की अंतिम तारीख;

(ख) वह स्थान जहां आवेदन किया जाना है;

(ग) वह केन्द्र जहां सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी;

(घ) आवेदन प्ररूप के विक्रय तथा परीक्षा प्रारम्भ होने की तारीख.

(2) आवेदन प्ररूप नियम पुस्तिका/जानकारी ब्रोशर के साथ होगा, जिसमें अन्य विवरण अंतर्विष्ट होंगे, जैसे :—

(क) प्रत्येक शाखा तथा पाठ्यक्रम के लिए स्थानों की संस्थावार संख्या;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य आवश्यक प्रवर्ग यदि कोई हों, के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या;

(ग) सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए विहित फीस;

(घ) प्रश्न-पत्रों/पत्रों का पाठ्यक्रम तथा पैटर्न.

(3) अधिकरण एक प्ररूप विहित करेगा, जिसमें सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन किया जाना है. यह प्ररूप प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित किए गए स्थानों से उपलब्ध होगा तथा आवेदकों की सुविधा हेतु वेबसाइट पर भी होगा.

(4) आवेदन प्ररूप विहित ऐसे दस्तावेजों के साथ संलग्न होगा, जैसा कि, अधिकरण द्वारा विहित किया जाए तथा समिति के सम्यक् अनुमोदन से अधिकरण द्वारा अधिसूचित फीस के साथ जमा किया जायेगा. कोई आवेदन फीस के बिना ग्राह्य नहीं होगा तथा तत्काल अस्वीकृत किया जाएगा.

(5) अधिकरण परीक्षा संचालित करेगा तथा गुणागुण के क्रम में परिणाम घोषित करेगा.

6. परामर्श (काउन्सलिंग) समिति का गठन तथा कृत्य.—(1) राज्य सरकार एक परामर्श (काउन्सलिंग) समिति का निम्नानुसार गठन करेगी:—

(क)	राज्य सरकार द्वारा परामर्श (काउन्सलिंग) प्राधिकारी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति	—	अध्यक्ष
(ख)	शासन का एक प्रतिनिधि जो संबंधित विभाग के संचालक/संयुक्त संचालक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;	—	सदस्य
(ग)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी	—	सदस्य
(घ)	अध्यक्ष, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी	—	सदस्य
(ङ)	परीक्षा संचालित करने तथा परिणाम घोषित करने हेतु भारसाधक अधिकरण का अधिकारी	—	सदस्य
(च)	तीन प्रतिनिधि जो समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं	—	सदस्य
(छ)	व्यावसायिक महाविद्यालयों के संघों का सचिव	—	सदस्य

(2) परामर्श (काउन्सलिंग) प्राधिकारी, परामर्श (काउन्सलिंग) कार्यक्रम/नियम/प्रक्रिया निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा:—

(क) समिति, प्रवेश हेतु कार्यक्रम, स्थान, समय तथा अन्य आवश्यक ब्यौरे तैयार करेगी तथा परामर्श (काउन्सलिंग) के प्रारंभ होने के कम से कम 10 दिन पूर्व कम से कम तीन प्रमुख हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार-पत्रों में अधिसूचित करेगी.

(ख) समिति, केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) का अनुसरण करके परामर्श (काउन्सलिंग) की कम्प्यूटरीकृत एकल खिड़की प्रणाली अपना सकेगी.

(ग) समिति, पाठ्यक्रमवार तथा संस्थावार प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करेगी तथा उसे संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजेगी.

(घ) समिति, परामर्श (काउन्सलिंग) के प्रत्येक प्रक्रम के लिए तारीख निर्धारित करेगी.

7. प्रवेश की प्रक्रिया.—(1) समस्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रम स्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यता क्रम में एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा.

(2) ऐसे समस्त प्रवेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालित केन्द्रीकृत/विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से दिए जाएंगे. परामर्श (काउन्सलिंग) के लिए विस्तृत प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी.

(3) व्यावसायिक संस्था का प्रबंधन अधिसूचना/विज्ञापन जारी नहीं करेगा और प्रवेश के लिए पृथक् रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नहीं मंगाएगा.

(4) यदि कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है या विहित प्रोफार्मा में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/देगी. तथापि, यदि वह पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर दस्तावेज पेश कर देता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिंग) के लिये विचारण में लिया जा सकेगा, जिस मामले में, वह उस समय उपलब्ध स्थान तथा संस्था के चयन का हकदार होगा/होगी. यदि कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सलिंग) के अंतिम दिन को भी उपस्थित नहीं होता है, तो यह समझा जाएगा कि वह प्रवेश लेने में इच्छुक नहीं है तथा प्रवेश का अधिकार समपहृत हो जाएगा.

(5) यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण परामर्श (काउन्सलिंग) की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से परामर्श (काउन्सलिंग) में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी. एम. ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे. यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का दायी होगा.

(6) कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सलिंग) के दिन किसी संस्था में एक बार प्रवेश ले लेता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिंग) के उसी चरण में परिवर्तन किए जाने हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी किन्तु वह अपना पूर्व प्रवेश सम्यक्रूप से रद्द होने के पश्चात् परामर्श (काउन्सलिंग) के अगले चरण में उपस्थित हो सकेगा. परामर्श (काउन्सलिंग) के पश्चात्वर्ती चक्र में आवंटन पुनः चालू हो सकेगा. जहां अध्ययन पाठ्यक्रम परिवर्तित हो सकेगा उदाहरण के लिए बी. डी. एस. से एम. बी. बी. एस. में पुनः आवंटन, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित प्रक्रिया से अनुज्ञात किया जा सकेगा.

(7) यदि परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से किसी विशिष्ट संस्था में अभ्यर्थी ने एक बार प्रवेश लिया है, तो संस्था के अंतरण हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(8) यदि परामर्श (काउन्सलिंग) का पश्चात्वर्ती चक्र होता है, तो प्रथम चक्र के दौरान छूट गए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तथा रिक्त स्थान होने पर गुणागुण और प्राथमिकता के आधार पर संस्था आवंटित की जाएगी.

(9) सफल अभ्यर्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय समिति द्वारा यथा विहित फीस जमा करना होगी. फीस, परामर्श (काउन्सलिंग) अधिकरण में जमा की जाएगी.

(10) संस्थाओं को स्वीकृत स्थानों के 15 प्रतिशत तक स्थान केवल एन. आर. आई. अभ्यर्थियों, यदि वह उपलब्ध हों, द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित विनियमों में विहित की गई रीति में भरने हेतु अनुज्ञात किए जाएंगे.

(11) ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा शासित पाठ्यक्रमों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान उन संस्थाओं के लिए, जिनने इसके लिए आवेदन किया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी गई है स्वैच्छिक आधार पर महिलाओं, निःशक्तों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क शिक्षण फीस के आधार पर स्वीकृत किए जा सकेंगे. प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अन्य स्थानों के लिए विनिश्चित की जाए.

8. **शेष रिक्त स्थानों के लिए प्रवेश का क्रम निम्नानुसार होगा.**—(1) प्रथमतः 15 प्रतिशत स्थान संबंधित संस्था के प्रबंधन द्वारा केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, यदि वे उपलब्ध हों, यदि पर्याप्त संख्या में अनिवासी भारतीय उपलब्ध न हों तो शेष स्थान सामान्य पूल में संविलिन किए जाएंगे. सामान्य पूल के स्थान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकरण द्वारा संचालित की गई राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में गुणागुण के आधार पर भरे जाएंगे.

(2) द्वितीयतः शेष स्थान राष्ट्रीय स्तर परीक्षा, जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, के गुणागुण के आधार पर भरे जाएंगे.

(3) तृतीयतः शेष स्थान अर्हकारी परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर भरे जाएंगे.

(4) ये समस्त प्रवेश इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार/समिति द्वारा घोषित किए गए परामर्श (काउन्सलिंग) प्राधिकारी द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से किए जाएंगे. परामर्श (काउन्सलिंग) के लिए विस्तृत प्रक्रिया समय-समय पर परामर्श (काउन्सलिंग) प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी.

9. **प्रवेश का रद्द किया जाना.**—(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा.

(2) इन्कारी या अभ्यर्थी की ओर से प्रवेश न होने की दशा में इस प्रकार जमा की गई फीस, जमा की गई रकम से 10 प्रतिशत काटकर वापस की जाएगी, यदि ऐसा रद्दकरण परामर्श (काउन्सलिंग) की अंतिम तारीख से 7 दिन पूर्व या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकथित मानदण्ड के अनुसार होता हो.

10. **शिक्षण तथा अन्य फीस.**—शिक्षण तथा अन्य फीस ऐसी होगी जैसी कि फीस समिति द्वारा विहित की जाए.

11. **नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरण.**—मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा.

12. अधिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतुक तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा.

13. **पाठ्यक्रम.**—ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित बी. ई., बी. फार्मा, बी. आर्च., एम. बी. ए., एम. सी. ए. तथा डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम चलाने वाली तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम उपाबंध में दिए गए हैं.

14. **निर्वचन.**—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

15. **अधिकारिता.**—किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी.

उपाबंध

(ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित बी. ई., बी. फार्मा, बी. आर्च., एम. बी. ए., एम. सी. ए. तथा डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम चलाने वाली तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित विशेष उपबंध)

1. **तकनीकी संस्थाओं को स्नातक वर्ष 2007-08 के लिए अस्थायी उपबंध.**—राज्य सरकार पूर्व में ही उसकी अधिसूचना क्र. 14/32/2006/42-1, दिनांक 6-4-2007, एफ 14/31/2006/42-1, दिनांक 28-11-2006 और एफ 14/34/2006/42-1, दिनांक 28-12-2006 द्वारा इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रम, मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रवेश के लिए प्रवेश नियमों को अधिसूचित कर चुकी है.

तदनुसार, व्यावसायिक संस्थाओं में इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्व में ही प्रारंभ हो चुकी है. कुछ मामलों में प्रवेश परीक्षा पूर्व में ही संचालित की जा चुकी है तथा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, यतः अखिल भारतीय स्तर पर अन्य प्रवेश परीक्षा पूर्व में ही संचालित की जा चुकी है और राज्य स्तर परीक्षा माह जून 2007 में नियत की गई है. अतएव, इस प्रक्रम पर प्रवेश प्रक्रिया में बाधा डालना अभ्यर्थियों के हित में उचित तथा उपयुक्त नहीं होगा. इस प्रकार मध्यप्रदेश राज्य और अन्य विरुद्ध श्री वर्धमान तकनीकी

शिक्षण अकादमी और अन्य (एस. एल. पी.) (सिविल नं. 7608/2007) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार, निम्नलिखित उपांतरण के साथ ऊपर प्रोद्धत प्रवेश नियमों को अंगीकृत करती है:—

"आदेश में निर्दिष्ट 15 प्रतिशत प्रबंधन (मैनेजमेंट) कोटा, जिसमें पी. ई. सी. टी. नियम पुस्तक के खण्ड 1.2.4 में, एम.सी.ए. नियम पुस्तक के खण्ड 1.2 में और एम. बी. ए. नियम पुस्तक के खण्ड 1.2.1 में यथाविनिर्दिष्ट एन. आर. आई. कोटा 5 प्रतिशत सम्मिलित है. अब ये एन. आर. आई. अभ्यर्थी, यदि वे उपलब्ध हों, से ही भरे जाएंगे."

2. **स्थानों की उपलब्धता.**—मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:—

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाएं	85 प्रतिशत स्थान सामान्य पूल के लिए, 15 प्रतिशत स्थान एन.आर.आई. (एन.आर.आई. स्थान, यदि भरे नहीं जाएं, तो ये सामान्य पूल के स्थानों में परिवर्तित किए जाएंगे).

3. **स्थानों का आरक्षण.**—(1) **जम्मू तथा कश्मीर प्रवासी स्थान.**—प्रत्येक संस्था में एक स्थान जम्मू तथा कश्मीर प्रवासियों के लिए उपरोक्त आधार पर आरक्षित है. प्रवेश प्राधिकृत अधिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा यथा विनिश्चित गुणागुण के आधार पर दिया जाएगा. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित विहित प्रोफार्मा में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी, जो जम्मू तथा कश्मीर में राजद्रोह के नियंत्रण के लिए सेवा कर रहे हैं, के पुत्र/पुत्री भी जम्मू और कश्मीर प्रवासियों के अन्तर्गत आएंगे. ऐसे अभ्यर्थियों को जम्मू तथा कश्मीर राज्य से उनकी अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. अभ्यर्थी को विहित प्रोफार्मा में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(2) **जम्मू तथा कश्मीर निवासी स्थान.**—समस्त संस्थाओं में प्रत्येक के लिए एक स्थान जम्मू तथा कश्मीर के निवासियों के लिए आरक्षित किया गया है. इन आरक्षित स्थानों के लिए प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह प्राधिकृत अधिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें. इन स्थानों का विचारण सामान्य पूल के अन्तर्गत किया जाएगा.

4. **एम. बी. ए. पाठ्यक्रम के लिए पात्रता का मानदण्ड.**—राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को एम. बी. ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा के कुल अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

5. **अधिमान.**—राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत का अधिमान दिया जाएगा.

अभ्यर्थी को उपरोक्त फायदे अभिप्राप्त करने के लिए संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन का प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना होगा.

6. सामान्य प्रवेश परीक्षा में बराबर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक गुणवत्ता (मेरिट) उस व्यक्ति को अधिमान देकर विनिश्चित की जाएगी जो अधिक आयु (केवल एम. बी. ए., एम. सी. ए. पाठ्यक्रम में) का हो और उस दशा में जब आयु भी वही हो तब मेरिट, अर्हकारी परीक्षा में अभिप्राप्त कुल अंकों के आधार पर विनिश्चित की जाएगी. बी. ई. पाठ्यक्रम के मामले में सामान्य प्रवेश परीक्षा में बराबर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक गुणवत्ता (मेरिट) गणित और उसके पश्चात् विज्ञान में प्राप्त अंकों द्वारा अवधारित की जाएगी. खण्ड 5 में दिए गए अधिमान का फायदा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, उस अभ्यर्थी के नीचे रखा जाएगा, जिसने मेरिट में उतने अंक प्राप्त किए हैं, किन्तु जिसे उपरोक्त अधिमानता नहीं दी गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, प्रवेश नियम, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

Bhopal, the 15th April 2008

No. F. 14-17-2007-XLII-1.— In exercise of the powers conferred by the Section 12 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government hereby makes the following Rules relating to the eligibility of admission manner of admission and allocation of seats in Private Unaided Professional Educational Institutions (including reservation of seats for foreign or Non-Resident Indian candidates), namely:—

RULES

1. **Short title and Commencement.**—(1) These Rules may be called Admission Rules, 2008.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these Rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007);

(b) "Appropriate Authority" means Authority as defined in clause (a) of Section 3 of the Act;

(c) "Admissions and Fee Regulatory Committee" means the Committee constituted by the State Government under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional educational institution;

(d) "AICTE" means All India Council of Technical Education, statutory body established by All India Council of Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);

(e) "Annexure" means Annexure appended to these rules;

(f) "Common Entrance Test" means an entrance test, conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counselling for the purpose of merit based admission to professional colleges or institutions through a single window procedure by the State Government or by any agency authorized by it;

(g) "Competent Authority" means any authority as authorized by the State Government in this behalf;

(h) "Fee" means all fees including tuition fee and development charges;

(i) "NRI" means Non-resident Indian shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of Section 115 C of the of Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);

(j) "Principal" means Head of institution;

(k) "Private Unaided Professional Educational Institution" means professional educational institutions which is not receiving recurring financial aid or grant-in-aid from any State or Central Government and which is not established or maintained by the Central Government, the State Government or any Public body;

(l) "Professional Educational Institution" means a College or a School or an institute by whatever name called, imparting professional education, affiliated to State University including a private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or Constituent unit of a deemed to be University under Section 3 of University Grant Commission Act, 1956 (3 of 1956), and approved or recognized by the competent statutory body regulating professional education;

(m) "Qualifying Examination" means the examination of the minimum qualification, passing of which entitles one to seek admission into the relevant Professional Courses as prescribed in these rules;

(n) "Single Window System" means a system by which available seats in all the institutions are offered through Common Centralized Counselling or Decentralize Online Counselling to qualified candidates in the order of merit in the Common Entrance Test;

(o) "Vyapam" means Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal;

(p) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Applicability.**—These rules shall be applicable to unaided private professional institutions (self-financing) which are conducting professional courses as notified by the Appropriate Authority for the purpose.

4. **Admission Rules**—Admission rules for year 2008-09 onward—

In all professional institutions the procedure for admission shall be as under:—

(1) **Availability of seats**—(a) Number of seats available in various professional educational institutions and as approved by appropriate authority shall be given in the common entrance test booklet;

(b) If during counselling permission is granted to any institution or the number of seats in any institution are varied by the Appropriate Authority on or before 30th June of that year same may be incorporated in counselling and the candidates who have already taken admission prior to change in intake capacity, shall not be entitled for admissions to newly sanctioned seats.

(2) **Allocation/Reservation of seats**—In every institutions and in its each branch 16%, 20% and 14% seats of General pool (85% of total intake) shall be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (excluding creamy layer Other Backward Classes category) respectively as notified by the State Government in this regard.

(3) **Eligibility for admission**—As decided by Appropriate Authority and State Government.

(4) **Manner of Admission**—Through a Common Entrance Test conducted by an agency duly authorized by the State or Central Government. Authorized agency shall prepare and notify merit/waiting list on the basis of marks obtained by candidates in Common Entrance Test.

5. **Conducting of Common Entrance Test.**—(1) The State Government shall appoint an agency to conduct Common entrance Test. The agency shall issue advertisement in the daily news papers haveing mass circulation in the State and also in two national level news papers having mass circulation. The publication shall be both in Hindi and English news papers. The advertisement shall contain:—

(a) The last date for making applications;

(b) The place where the application is to be made;

(c) The centres where the Common Admission Test will be held;

(d) The date of commencement of sale of application forms and date of examination.

(2) The application form should be accompanied with a rule book/information brochure containing other details such as:—

(a) The institution wise number of seats for each discipline and the course;

(b) The number of seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other necessary categories, if any, notified by the State Government.

(c) The fees prescribed for the common entrance test.

(d) Syllabus and pattern of question paper/papers.

(3) The agency shall prescribe a form in which an application is to be made for the Common Entrance Test. This form will be available from the places mentioned by the authority and shall also be put on the website for the facility of applicants.

(4) The application form shall be accompanied by such documents as prescribed by agency and shall be deposited along with the fees notified by the agency with due approval from Committee. Any application without fees will not be entertained and will be rejected forthwith.

(5) The agency shall conduct the test and declare result in the order of merit

6. **Constitution and function of Counselling Committee**—(1) The State Government shall constitute a counselling committee as follows:—

(a)	the person appointed by the State Government as a Chairman of Counselling Authority;	—	Chairman
(b)	a representative of the Government not below the rank of Director/Joint Director of concerned Department;	—	Member
(c)	an officer nominated by Hon'ble Vice Chancellor, Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal	—	Member
(d)	an officer nominated by the Chairman, Admission and Fee Regulatory Committee;	—	Member
(e)	the officer of the agency in-charge for conducting the test and declaring the result;	—	Member
(f)	Three representatives to be nominated by Chairman of the Committee	—	Member
(g)	Secretary of the Associations of Professional Colleges	—	Member

(2) Counselling Authority shall submit the counselling schedule/rules/procedures as under :—

(a) Committee shall prepare and notify the schedule for admissions, venue, timing and all other necessary details in at least three leading news papers Hindi and English at least 10 days before commencement of counselling.

(b) Committee shall adopt computerized single window system of counselling either by following centralized or decentralized counselling.

(c) The Committee shall prepare the final list of candidates admitted coursewise and institutionwise and send the same to concerned Universities.

(d) The Committee shall fix the dates for each stage of counselling.

7. **Procedure of Admission.**—(1) The admission inio all the professional colleges shall be made through single window system in the order of merit on the basis of ranking in Common Entrance Test conducted by any agency duly authorized by the State Government.

(2) All these admissions shall be done through centralized/decentralized online counselling conducted by the competent authority. The detailed procedure for the counselling shall be notified by the Competent Authority from time to time.

(3) No Management of Professional Institution shall issue notification/advertisement and call for application for admission separately or individually.

(4) If a candidate fails to present himself/herself for Counselling or fails to produce the relevant certificates in original in prescribed proforma.he/she shall loose his/her chance of selection of Seat and Institution. However, if he/she produces documents at a later stage, the same may be considered for Counselling in which case. he/she shall be entitled to, select the seat and institution available at that point of time. If a candidate does not turn up even on the last day of Counselling, it shall be deemed that he/she is not interested in taking admission and shall forfeit the right of admission.

(5) If a candidate fails to present himself/herself on the date of Counselling because of serious illness or accident and is admitted in the hospital, then his/her guardian/parents may be permitted to appear in the Counselling on his/her behalf, provided the concerned candidate submits an authority letter to this effect along with a medical certificate issued by the concerned Chief Medical Officer/Civil Surgeon as a proof of illness or hospitalisation. If later on it is found that the information provided by the candidate was wrong, then the admission is liable to be cancelled.

(6) Once a candidate has taken admission in an institution on his day of Counselling he shall not be permitted to change it in same phase of counselling but he may appear in the next phase of counselling after getting his previous admission duly cancelled. In subsequent round of counselling re-opening of allotment can be done where course of study may change for example from BDS to MBBS, re-allotment may be permitted with a procedure duly approved by admission and fee regulatory committee.

(7) Once a candidate is admitted in a particular institution through Counselling, no transfer of institution shall be permitted.

(8) If there is subsequent round of counselling, the candidates left over during first round shall be called and shall be allotted to Institution having vacant seats on the basis of merits and priority.

(9) The successful candidates shall have to deposit fees as prescribed by the Committee at the time of counselling. The fees shall be deposited with the counselling agency.

(10) Institutions shall be allowed to fill upto 15% of the sanctioned seats by NRI candidates only. If they are available, in the manner prescribed in the regulations notified for this purpose.

(11) For courses governed by AICTE,. 10% extra seats may be sanctioned on free tution fee basis for women, handicapped and other weaker section of the society on voluntary basis for those institutions, who applies for the same and are given permission by the Competent Authority. The admission procedure shall be same as for other seats decided by the appropriate authority.

8. **For remaining vacant seats the sequence of admission shall be as under**—(1) Firstly 15% seats shall be filled by management of the respective institutions by NRI candidates only if they are available. If sufficient number of NRI candidates are not available then remaining vacant seats shall be merged into general pool. Seats in general pool shall be filled on the basis of merit of state level common entrance test conducted by Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal or any other agency authorized by the State Government for this purpose.

(2) Secondly remaining seats shall be filled on the basis of merit of National level test as decided by the State Government.

(3) Thirdly remaining seats shall be filled on the basis of marks obtained in the qualifying examination;

(4) All these admission shall be done through centralized counselling conducted by the Counselling Authority declared by the State Government/Committee for this purpose. The detailed procedure for the counselling shall be notified by the Counselling authority from time to time.

9. **Cancellation of Admission**—(1) If at any stage it is found that a candidate has got admission in any institution on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts or if at any time after admission it is found that the admission was given to the candidate due to some mistake or oversight, the admission granted to such a candidate shall be liable to be cancelled forthwith without any notice at any time during the course of his/her studies by the Principal of the institution or by Competent Authority.

(2) In the event of refusal or non-admission on the part of the candidate, the fees so deposited shall be refunded after 10% deduction on deposited amount if such cancellation is done within 7 days before the last date or Counselling. or as per the criteria laid down by Competent Authority.

10. **Tution and other Fees**—Tution and other fees shall be as prescribed by Fees Committee.

11. **Modification to rules./procedures**—The State Government of Madhya Pradesh reserved the rights to amend any provision/rules/procedure for admission after due consultation from admission and fee regulatory committee to ensure fair and transparent admission procedure and any modification so made shall be binding.

12. A candidate aggrieved with any contravention on the part of the Agency or any contravention of the provisions of the Act could make an application to the Committee pinpointing the cause of action and alleged lapse in following the procedure or provisions of the Act.

13. **Courses**—Courses relating to technical education institutions running AICTE approved B.E., B. Pharma., B.Arch., MBA., MC A and Diploma Pharmacy courses are given in Annexure.

14. **Interpretation**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to State Govrnment whose decision thereon shall be final.

15. **Jurisdiction**—In case of any dispute the jurisdiction shall be limited to the courts constituted and situated in State of Madhya Pradesh only.

ANNEXURE

(Specific provisions related to Technical Education institutions running AICTE approved B.E., B. Pharma, B.Arch., MBA., MCA and Diploma Pharmacy courses)

1. **Transitory provision for year 2007-08 applicable to Technical Institutions**—The State Government has already notified admission rules for admission to Engineering and Pharmacy courses, Master of Computer Application and Master of Business Administration *vide* its Notification. 14/32/2006/42-1, dated 6-4-2007, F 14/31/2006/42-1, dated 28-11-2006 and F.14/34/2006/42-1, dated 28-12-2006 respectively.

Accordingly, admission process for admission to these professional courses in professional institutions has already commenced. In some case entrance examination have already been conducted and result has been declared. whereas in other entrance examination at the all India level have already been conducted and state level examination is scheduled in the month of June, 2007. Therefore, it would not be in fitness of things and in the interest of the candidates to disturb the admission process at this stage. As such the State Government adopts the admission rules cited above with the following modification to give affect to the judgment pronounced by Hon'ble Supreme Court in the case of the State of Madhya Pradesh and Ors. *Vs.* Shri Wardhman Academy for Technical Education and Ors. (SLP) (Civil No. 7608/2007):—

"15% management quota referred in the order including 5% NRI quota as specified in clause 1.2.4 of PEPT Rules Book. clause 1.2 of MCA Rule Book and clause 1.2.1 of MBA Rule Book. Now it shall be filled only by NRI candidates. if they are available.".

2. **Availability of Seats**—Number of seats available in various institutions in Madhya Pradesh are as follows:—

Type of Institutions (1)	percentage of Intake capacity (2)
Private institutions	85% Seats for General Pool 15% NRI Seats (NRI seats. if not filled then will be Converted into Seats for General Pool).

3. **Reservation of Seats—(1) Jammu and Kashmir Migrant's Seats**—One seat, on over and above basis,. in each of the Institution is reserved for Jammu and Kashmir migrants. The admission shall be given on the basis of merit as decided by the Common Entrance Test conducted by authorized agency. The candidate shall have to produce a certificate in a prescribed proforma duly signed by competent authority.

Sons/daughters of the employees of Madhya Pradesh Government who have served in the State of Jammu & Kashmir for curbing insurgency are also covered under the Jammu and Kashmir migrant. Such candidates should have passed their qualifying examination from the State of Jammu and Kashmir . Candidates shall have to produce a certificate in a prescribed proforma.

(2) **Jammu and Kashmir Resident's Seats**—One seat each in all institutions has been reserved for residents of Jammu and Kashmir. The candidates seeking admission against these reserved seats shall be required to appear in Common Entranc Test conducted by authorized agency and submit appropriate certificate issued by the competent Authority. These seats shall be considered under General Pool.

4. **Eligibility Criteria for MBA Course**—Candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (excluding creamy layer) of Madhya Pradesh as notified by the State Government,. shall be given 10 percent relaxation in the aggregate marks of qualifying examination for admission into MBA course.

5. **Weightage**— of 10 percent of the marks obtained in the Common Entrance Test shall be given to those candidates who have been awarded Gold Medal in the National level Sports Competition.

In order to obtain the above benefit, candidates shall have to produce the certificate from Director, Department of Sports & Youth Welfare and Government of Madhya Pradesh in a specified proforma.

6. Inter se merit of candidates getting equal marks in the common Entrance Test shall be decided by giving preference to the person,. who is older in age (in MBA., MCA course only) and, in case the age is also same. then merit shall be decided on the basis of aggregate marks obtained in the qualifying examination. In case of B.E. courses inter se merit of candidates getting equal marks in the Common Entrance Test shall be decided by the marks obtained in Maths, then Science. Candidates getting benefits of weightage as given in clause 5 shall be placed below the candidate. who has got the same marks in the merit but has not been given the above weightage.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAMIM UDDIN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस-एक.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार,

एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन तथा शुल्क निर्धारण करने हेतु प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के गठन तथा कार्यकरण, नियंत्रण तथा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम, फीस विनियामक समिति का गठन, कार्यकरण, नियंत्रण तथा शर्तें विनियम, 2008 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे.

2. **परिभाषाएं**—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);

(ख) "**प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति**" से अभिप्रेत है, सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित तथा गठित समिति;

(ग) "**समुचित प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मापदंडों और शर्तों को अधिकथित करने के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय या राज्य प्राधिकारी;

(घ) "**फीस**" से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(ङ) "**व्यावसायिक संस्था**" से अभिप्रेत है, कोई महाविद्यालय या कोई संस्था, जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन परिभाषित विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है;

(च) "**सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था**" से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो;

(छ) "**सामान्य प्रवेश परीक्षा**" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक संस्थाओं में प्रस्तावित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकरण द्वारा संचलित कोई प्रवेश परीक्षा;

(ज) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उनके लिए दिया गया है.

3. **समिति का गठन**—राज्य सरकार एक प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति स्थापित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1)	व्यक्ति जो केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय समझी गयी संस्था का कुलपति रहा हो या ऐसा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहा हो जो राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो.	— अध्यक्ष
(2)	वित्त विशेषज्ञ में से एक व्यक्ति	— सदस्य
(3)	विधि या प्रशासन विशेषज्ञों में से एक व्यक्ति	— सदस्य
(4)	तकनीकी शिक्षा विशेषज्ञों में से एक व्यक्ति	— सदस्य
(5)	स्वास्थ्य शिक्षा विशेषज्ञों में से एक व्यक्ति	— सदस्य

4. **समिति के कार्य, निबंधन तथा शर्तें.**—(1) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे वेतन/मानदेय, परिलब्धियां, विशेषाधिकार आदि (राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित) के हकदार होंगे, जो निम्नलिखित होंगे :—

(क) अध्यक्ष, उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन के साथ महंगाई भत्ता, वाहन भत्ता में से पेंशन घटाकर प्राप्त करने का हकदार होगा. इसी प्रकार अपील प्राधिकारी भी पेंशन घटाकर वेतन पाने का हकदार होगा;

(ख) सदस्य जो अशासकीय सदस्य है, राज्य सरकार के सचिव के रूप में माने जाएंगे तथा 30,000.00 रुपये प्रतिमास निर्धारित वेतन पाने के हकदार होंगे अन्यथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक अपने अंतिम वेतन में से पेंशन घटाकर पाने के हकदार होंगे;

(ग) अध्यक्ष तथा अन्य पूर्णकालिक सदस्य, समुचित पद हेतु राज्य शासन के नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय कार्यालय एवं निवास पर टेलीफोन सुविधा के लिये अनुज्ञात होंगे;

(घ) अध्यक्ष तथा समिति के अन्य पूर्णकालिक सदस्य वित्त विभाग के निबंधन के अनुसार, किराए के आधार पर वाहन (टेक्सी) सुविधा के लिए हकदार होंगे;

(ङ) अध्यक्ष तथा अपील प्राधिकारी एवं पूर्णकालिक सदस्य राज्य मंत्री को लागू अनुसार ही किराए पर आवास के हकदार होंगे.

(2) समिति का कार्यकाल उसके अधिसूचित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष का होगा तथा किसी कारण से इससे पूर्व उद्भूत होने वाली किसी रिक्ति की दशा में, राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल के शेष भाग के लिए ऐसी रिक्ति भरी जाएगी.

(3) समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएंगी, कि उसमें कोई रिक्तता है या समिति के गठन में कोई त्रुटि है.

(4) कोई भी व्यक्ति, जो सहायता पाने वाली या सहायता न पाने वाली निजी शिक्षण संस्था से संबद्ध है, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा.

(5) प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रहेगा यदि वह ऐसा कोई कार्य करता है जिससे राज्य सरकार की राय में, उसका समिति के सदस्य के रूप में बना रहना अनुपयुक्त हो गया हो:

परन्तु ऐसा सदस्य उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना समिति से नहीं हटाया जाएगा.

(6) समिति अपना कार्य संचालन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी.

(7) राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, भोपाल समिति के कार्यकरण के मद्दे हुए समस्त व्ययों जिनमें यात्रा भत्ता, मानदेय, महंगाई भत्ता तथा अन्य नियमित और आकस्मिक व्यय भी सम्मिलित हैं, की पूर्ति अपनी निधि में से करेगा तथा जो नोडल विभाग अर्थात् तकनीकी शिक्षा विभाग से बजट संबंधी उपबंधों के माध्यम से प्रतिपूर्ति योग्य होगा.

(8) समिति द्वारा, फीस निर्धारण की प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया/निरीक्षण फीस तथा उस पर उपगत हुए व्यय वसूल किए जाएंगे जिसकी राशि संस्थाओं के निरीक्षण इत्यादि पर की जाएगी. इस मद्दे अतिशेष राशि को कार्पस फंड के रूप में एकत्र किया जाएगा तथा इस पर प्राप्त होने वाले ब्याज का उपयोग समिति के अन्य कार्यकलापों के लिए किया जा सकेगा.

5. **निर्वचन.**—इन नियमों के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

6. **अधिकारिता.**—किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, फीस विनियामक समिति का गठन, कार्यकरण, नियंत्रण तथा शर्तें विनियम, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

Bhopal, the 15th April 2008

No. F. 14-17-2007-XLII-1.— In exercise of the powers conferred by the clause (a) of sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Niji Vyavasayik Shikshan Sansthan (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government, hereby makes the following Regulation relating to Constitution and working, terms and conditions of the Admission and Fee Regulatory Committee for regulation of admission and determination of fee in Private Unaided Professional Institutions in Madhya Pradesh, namely:—

REGULA TION

1. **Short title and Commencement.**—(1) These Regulations may be called the Constitution, working, terms and conditions of the admission and fee Regulatory Committee Regulation, 2008.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In this Regulation, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sansthan (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007);

(b) "Admissions and Fee Regulatory Committee" means the Committee established and constituted by the State Government for the regulations of admissions and for fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in private unaided professional institutions;

(c) "Appropriate Authority" means a Central or State authority established by the Central or the State Government for laying down norms and conditions for ensuing standards of professional education;

(d) "Fee" means all fees including tuition fee and development charges;

(e) "Professional Institutions" means a college or institute including a private university established or incorporated by an Act of the State Legislature or Constituent unit of a deemed university defined under Section 3 of University Grant Commission Act, 1956;

(f) "Private Unaided Professional Institution" means the professional institution which does not receive recurring aid or grant-in-aid from any State or Central Government;

(g) "Common Entrance Test" means an entrance test conducted by an agency authorized by the State/ Central Government for admissions in various professional courses offered in professional institutions;

(h) The words and expressions used in these regulation but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.

3. **Constitution of Committee**—The State Government shall establish an Admission and Fee Regulatory Committee consisting of the following members, namely :—

(1)	Person who has been a Vice Chancellor of a Central/State University or an Institution deemed to be University or a Senior Administrative Officer not below the rank of Principal Secretary of the State Government or Joint Secretary of the Government of India.	—	Chairman
(2)	One person from experts in Finance	—	Member

(3)	One person from amongst experts in Law or Administration	—	Member
(4)	One person from amongst experts in Technical Education	—	Member
(5)	One person from amongst experts in Medical Education	—	Member.

4. **working terms and condition of the committee**—(1) The Chairman and members of the committee shall be entitled to salary/honorarium, perquisites, privileges etc., (as determined by the State Government) shall be as follows :—

(a) Chairman shall be entitled to his last salary drawn alongwith Dearness Allowance, Conveyance Allowance minus pension similarly appellant authority shall be entitled for pay minus pension;

(b) Members who are non Government shall be treated at par to the Secretary to State Government and shall be entitled to a fixed pay of Rs, 30000=00 per month otherwise for retired Government servant the entitlement shall be his last salary minus pension;

(c) Chairman and other full time members shall be allowed for telephone facilities in office and residence as permissible under State Government rules for the appropriate post;

(d) Chairman and other full time members shall be entitled for the vehicle (taxi) facility on rent basis as per finance department norms;

(e) Chairman and appellant authority and other members shall be entitled for rented accommodation as applicable to Minister to State.

(2) The term of the Committee shall be for three years from the date of its notification and in case of any vacancy arising earlier, for any reason, the State Government shall fill such vacancy for the remainder period.

(3) No act or proceedings of the committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy in, or any defect in the Constitution of the Committee.,

(4) No person who is associated with a private aided or unaided institution shall be eligible for being a member of the Admission and Fee Regulatory Committee.

(5) A member of the Admission and Fee Regulatory Committee shall cease to be so, if he performs any act, which in the opinion of the State Government is, unbecoming of a member of the committee:

Provided that, no such member shall be removed from the committee without giving him an opportunity of being heard.

(6) The committee may frame its own procedure to transact its business.

(7) Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal shall meet the all expenses towards functioning of the Committee including payment of salaries, travelling allowances, honorarium, Dearness Allowance and other regular and contingent expenditures etc. from their funds and the same shall be reimbursable through the nodal department i.e. Department of technical education through budgetary provisions.

(8) Committee shall charge a processing/inspection fee for processing the fee fixation process and to recover the expenses incurred on inspection of the institutions to finalize the same. Any surplus on this account shall be credited in a corpus fund and interest earned on the same may be used for other activities of the committee.

5. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

6. **Jurisdiction.**—In case of any dispute the jurisdiction shall be limited to the courts constituted and situated in State of Madhya Pradesh only.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAMIM UDDIN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्र. एफ. 14-17-2007-बयालीस-एक.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, एतद्द्वारा, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (कारबार का संव्यवहार) विनियम बनाती है, अर्थात् :—

विनियम

अध्याय-एक-सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2008 है.

(2) इनका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

(2) यह "राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);

(ख) "अधिकरण" से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संचालन हेतु प्राधिकृत कोई संवैधानिक निकाय, संस्था/या संगठन;

(ग) "सभापति (चेयरपर्सन)" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का सभापति (चेयरपर्सन);

(घ) "समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति;

(ङ) "परामर्शदाता" से अभिप्रेत है, ऐसे अध्ययनों या सत्यापन में जो समिति द्वारा आवश्यक पाए जाएं, सहायता करने हेतु समिति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का दल, या कोई निगमित निकाय;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) "निरीक्षण दल" से अभिप्रेत है, अधोसंरचना के निरीक्षण, तथ्यों के सत्यापन, संस्था के कार्यकलापों के अध्ययन के निरीक्षण के प्रयोजन तथा ऐसे अन्य प्रयोजन जो दल को सौंपे जाने हेतु गठित दल;

(ज) "सदस्य" से अभिप्रेत है, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का कोई सदस्य;

(झ) "सचिव" से अभिप्रेत है, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी;

(ञ) "अधिकारी" से अभिप्रेत है समिति का कोई अधिकारी;

(ट) "याचिका" से अभिप्रेत है, तथा उसमें सम्मिलित है, सभी याचिकाएं आवेदन, परिवाद अपील, उत्तर, प्रत्युत्तर, मध्यक्षेप, अनुपूरक अभिवचन, अधिनियम, नियम तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन आने वाले मामलों से संबंधित अन्य कागज-पत्र तथा दस्तावेज.

(ठ) "कार्यवाहियां" से अभिप्रेत होगा तथा उसमें सम्मिलित है, सभी प्रकार की कार्यवाहियां, जो अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में समिति द्वारा की जा सकेगी;

(ड) "प्राप्तिकर्ता अधिकारी" से अभिप्रेत है, याचिका प्राप्त करने के लिये सभापति (चेयरपर्सन) द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी;

(ढ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई है किन्तु उसमें ऊपर परिभाषित नहीं की गई है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है.

अध्याय-दो

मुख्यालय, कार्यालय आदि

3. **समिति के कार्यालय, कार्यालयीन समय तथा बैठक.**—(1) समिति के कार्यालय का स्थान, अध्यक्ष/सचिव द्वारा समय-समय पर इस निमित्त यथा-अधिसूचित आदेश के अनुसार हो सकेगा.

(2) जब तक अन्यथा निर्देशित न किया जाए, समिति का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय प्रत्येक मास के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित शासकीय अवकाश तथा प्रत्येक रविवार को छोड़कर प्रतिदिन खुलेंगे. समिति का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय ऐसे समय पर खोले जाएंगे जैसा समिति निदेश दें.

(3) जहां किसी कारबार को करने का अंतिम दिन उस दिन आता हो जिसको समिति का कार्यालय बंद है और उस कारण से उस दिन कारबार का संव्यवहार न किया जा सकता हो, तो उसे अगले दिन किया जा सकेगा जिस दिन कार्यालय खुला हो.

(4) समिति, मामलों की सुनवाई के लिये मुख्यालयों पर या अन्य किसी स्थान पर उन दिनों तथा समय पर बैठकें कर सकेंगी, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए.

4. **समिति की भाषा.**—(1) समिति की कार्यवाहियां या तो अंग्रेजी या हिन्दी में संचालित की जाएंगी. सभी याचिकाएं हिन्दी या अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाएंगी.

(2) हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में अंतर्विष्ट कोई दस्तावेज या अन्य मामले अध्यक्ष द्वारा तभी स्वीकार किए जा सकेंगे जब उसके साथ उसका हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद संलग्न हो.

स्पष्टीकरण:—कोई अनुवाद जो कार्यवाहियों के पक्षकारों द्वारा मंजूर किया गया हो, या जो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा उस व्यक्ति के जिसने उसका हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद किया हो, अधिकृत प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत किया हो, समिति द्वारा समुचित मामलों में सत्य अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा.

(3) **संघ की मान्यता :**—समिति के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये समिति, छात्रों के किन्हीं संघों अध्यापकों या अन्य निगमित निकाय या किसी समूह या संबंधित व्यक्ति को अनुज्ञा दे सकेगी.

अध्याय-तीन

समिति के समक्ष कार्यवाहियों से संबंधित विनियम

5. **समिति के समक्ष कार्यवाहियां आदि.**—समिति, समय-समय पर, सुनवाई, बैठक, चर्चा, विचार-विमर्श, जांच, अन्वेषण तथा परामर्श कर सकेगी, जैसा कि समिति अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समुचित समझे, सचिव तथा अन्य अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसे समिति नियुक्त करे, समिति की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा तथा सहायता कर सकेगा.

6. **गणपूर्ति .**—(1) समिति के समक्ष कार्यवाहियों के लिये न्यूनतम गणपूर्ति पांच में से तीन सदस्यों की उपस्थिति से होगी.

(2) कोई भी सदस्य किसी विनिश्चय पर अपने मत का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसे विषय पर समिति की समस्त सुनवाइयों के दौरान उपस्थित नहीं हो.

7. **कार्यवाहियों का शुरू किया जाना** .—(1) समिति, किसी प्रभावित व्यक्ति द्वारा फाइल किसी याचिका पर स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू कर सकेगी.

(2) कार्यवाहियों में कोई पक्षकार या तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा या विहित प्ररूप में, लिखित में, उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत निकट संबंधी के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा.

(3) जब समिति किसी विषय के संबंध में कार्यवाही शुरू करती है तो वह समिति के कार्यालय द्वारा सूचना जारी कर ऐसा कर सकेगी तथा समिति ऐसे आदेश तथा निदेश दे सकेगी जैसे कि वह प्रभावित पक्षकारों को सूचना की तामील के लिये उत्तर फाइल करने के लिये विवाद्यक विषय के विरोध में या समर्थन में प्रत्युत्तर देने या कार्यवाहियों के संचालन से संबंधित अन्य विषय के लिए, आवश्यक समझे. समिति, यदि उचित समझे, तो कार्यवाहियों में अन्तर्वलित विवाद्यक पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए, एक सूचना ऐसे प्ररूप में प्रकाशित कर सकेगी जैसे कि समिति निदेश दे.

8. **समिति के समक्ष याचिका तथा अभिकथन.**—(1) समिति के समक्ष फाइल की जाने वाली समस्त याचिकाएं, टंकित, साइक्लो स्टाइल या शुद्धरूप से मुद्रित होंगी तथा सफेद कागज के एक ओर सुपाठ्य होगी और प्रत्येक पृष्ठ क्रम से संख्यांकित होंगे. समिति कम्प्यूटर डिस्क या इलेक्ट्रानिक्स मीडिया के माध्यम से ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि समिति विनिर्दिष्ट करे, फाइल की गई याचिकाओं को स्वीकार कर सकेगी. याचिका की विषय वस्तु पृथक्-पृथक् पैरा में समुचित रूप से विभक्त होना चाहिए जो अनुक्रमांकित होंगे. याचिका ऐसे दस्तावेजों तथा कथन के साथ होगी जैसा समिति विनिर्दिष्ट करे.

(2) प्रत्येक शपथ-पत्र प्रथम पुरुष द्वारा तैयार किया जाएगा तथा उसमें अभिसाक्षी का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय और हैसियत जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है, कथित होगा तथा शपथ-पत्र लेने या प्राप्त करने के लिये विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षर करेगा तथा शपथ लेगा.

(3) प्रत्येक शपथ-पत्र में स्पष्ट तथा पृथक् रूप से कथन दर्शित होगा जो—

(एक) अभिसाक्षी के ज्ञान,

(दो) अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त जानकारी,

(तीन) अभिसाक्षी के विश्वास से,

सत्य हो.

(4) जहां शपथपत्र में कोई कथन अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का सत्य होना कथित करता है, वहां शपथ-पत्र में जानकारी का स्रोत भी प्रकट करना होगा तथा इसमें यह कथन भी सम्मिलित करना होगा कि अभिसाक्षी को यह विश्वास है, कि जानकारी सत्य है.

9. **अभिवचन आदि की प्रस्तुति तथा छानबीन.**—(1) सभी याचिकाएं, प्रतिलिपियों की ऐसी संख्या में जैसा कि समिति विनिर्दिष्ट करे, फाइल की जाएंगी तथा याचिका के प्रत्येक सेट सभी दृष्टि से पूर्ण होंगे.

(2) समस्त याचिकाएं प्राधिकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मुख्यालय पर तथा अधिसूचित समय के दौरान प्रस्तुत की जाएंगी, याचिकाएं उपरोक्त वर्णित स्थानों पर समिति को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भी भेजी जा सकेंगी. जहां याचिकाएं प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की गई हैं वहां, प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज याचिका के साथ फाइल किए जाएंगे.

(3) याचिका प्राप्त करने पर, प्राप्तिकर्ता अधिकारी उसे स्टांपित करेगा तथा वह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिस पर याचिका प्रस्तुत की गई है तथा याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को स्टाम्प तथा तारीख सहित अभिस्वीकृति जारी करेगा. उस दशा में जब याचिका रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त की गई हो वह तारीख जिसको याचिका वास्तविक रूप से समिति के कार्यालय में प्राप्त हुई है याचिका की प्रस्तुति की तारीख के रूप में ली जाएगी.

(4) याचिका की प्रस्तुति और प्राप्ति को समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए संधारित किए जाने वाले रजिस्टर में सम्यक रूप से प्रविष्ट किया जाएगा.

(5) सचिव, ऐसी किसी याचिका को रद्द कर सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों या विनियमों या समिति द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरूप नहीं है या जो अन्यथा त्रुटिपूर्ण है या विनियमों या समिति के निदेशों से भिन्न है परन्तु ऐसी कोई याचिका को किसी ऐसी त्रुटि के कारण, जो इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटि में सुधार फाइल करने वाले व्यक्ति को अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा. जिसमें अभिवचनों की या प्रस्तुतीकरण की त्रुटि है. सचिव एक युक्तियुक्त समय के भीतर फाइल की गई याचिका में त्रुटियों के बारे में याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को लिखित में सलाह देगा.

(6) सभापति या ऐसा कोई सदस्य जिसे याचिकाकर्ता के लिये सभापति पदाभिहित करे या सचिव इस प्रयोजन के लिये प्रस्तुत की गई याचिका को मंगाने का हकदार होगा और याचिका की प्रस्तुति तथा स्वीकृति के संबंध में ऐसे निदेश देगा, जैसा कि वह उचित समझे.

10. किसी प्रकरण को ग्रहण करना और उसका रजिस्ट्रीकरण करना:— (1) यदि संक्षिप्त के पश्चात् कोई याचिका विचारण के लिये उचित पाई जाती है तो उसे सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा तथा उसे ऐसी रीति में एक क्रमांक आवंटित किया जाना चाहिए, जैसा कि समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) याचिका के संवीक्षित होने तथा क्रमांकित होने के पश्चात् याचिका को समिति के समक्ष रखा जाएगा.

(3) याचिका के परिशीलन के पश्चात् सचिव, किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों/दस्तावेजों को, जो याचिका के विनिश्चय के लिए वह आवश्यक समझे, मंगा सकेगा.

(4) समिति, याचिकाकर्ता की उपसंजाति की अपेक्षा किए बिना याचिका को ग्राह्य कर सकेगी. समिति, याचिका को अस्वीकार करने का आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगी. समिति ऐसे अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सकेगी जिन्हें वह याचिका की ग्राह्यता पर सुनवाई के लिए समुचित समझे.

(5) यदि समिति याचिका ग्राह्य करती है तो यदि वह आवश्यक समझे, याचिका के विरोध में या समर्थन में उत्तर तथा प्रत्युत्तर फाइल करने हेतु प्रत्यार्थी/प्रत्यर्थियों तथा अन्य प्रभावित पक्षकारों को सूचना की तामील के लिये ऐसे प्ररूप में, जैसा कि समिति निदेश दे, ऐसे आदेश तथा निदेश दे सकेगी.

11. **नोटिस की तामीली और समिति द्वारा जारी आदेशिका** :—(1) समिति द्वारा जारी किये जाने वाले कोई नोटिस या आदेशिका या समन निम्नलिखित किसी एक या अधिक ढंग से तामील किये जा सकेंगे :—

(क) पक्षकार को व्यक्तिगत तामीली द्वारा,

(ख) पत्रवाहक के माध्यम से, जिसमें कोरियर सेवा सम्मिलित है,

(ग) रसीदी रजिस्ट्री डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा,

(घ) समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा यदि समिति का समाधान हो जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित रीति में किसी व्यक्ति पर नोटिस, आदेशिका आदि की तामीली युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक नहीं है; और

(ङ) किसी ऐसी रीति में जो समिति द्वारा समुचित समझी जाये.

(2) प्रत्येक नोटिस या आदेशिका उस व्यक्ति को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उस स्थान पर भेजी जा सकेगी जहां कि वह व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि साधारणतया निवास करता है.

(3) यदि कोई मामला समिति के समक्ष लंबित है, तो याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी या हस्तक्षेपकर्ता किसी निकट संबंधी को उसकी ओर से उपस्थित होने के लिये प्राधिकृत करेगा, ऐसे प्रतिनिधि के बारे में यह समझा जायेगा कि वह संबंधित पक्षकार की ओर से नोटिस तथा आदेशिका की तामीली हेतु सम्यक् रूप से सशक्त है. इस प्रकार प्राधिकृत प्रतिनिधि को समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा.

12. **उत्तर, विरोध तथा आपत्ति आदि प्रस्तुत करना.**—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो विरोध करने या समर्थन करने की वांछा करता है ऐसी कालावधि के भीतर उत्तर तथा दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसकी उतनी संख्या में प्रतिलिपियां होंगी जैसी कि समिति द्वारा नियत की जाए, फाइल किये गये उत्तर में वह याचिका में कथित तथ्यों को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार करेगा, इंकार करेगा या उनके बारे में व्याख्या करेगा और ऐसे अतिरिक्त तथ्यों को भी वर्णित करेगा जो वह आवश्यक समझे. उत्तर, उसी रीति में हस्ताक्षरित किए जाएंगे, सत्यापित तथा शपथ पत्र पर समर्थित किए जाएंगे, जैसा कि याचिका के मामले में होता है.

(2) प्रत्यर्थी, याचिकाकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि पर उत्तर की प्रति के साथ सत्यप्रतिलिपियां जो दस्तावेजों के संबंध में अभिप्रमाणित की गई हों तामील करेगा और ऐसी तामीली के सबूत को उत्तर फाइल करने के समय समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा.

(3) याचिकाकर्ता, "प्रत्यर्थी" के उत्तर का प्रत्युत्तर (रिजाइंडर) तथा निर्भर करने वाले दस्तावेज ऐसी कालावधि तथा ऐसी रीति में तथा उतनी प्रतिलिपियों में फाइल करेगा जैसा कि समिति द्वारा नियत किया जाए, ऐसी दशा में याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, प्रत्युत्तर (रिजाइंडर) के साथ साथ प्रतिलिपियां जो दस्तावेजों के संबंध में अभिप्राप्त की गई हो, प्रस्तुत करेगा और ऐसी तामीली के सबूत को प्रत्युत्तर फाइल करने के समय समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा.

(4) जहां प्रत्यर्थी ऐसे अतिरिक्त तथ्य अभिकथित करता है जो मामले के उचित विनिश्चय के लिए आवश्यक हों, वहां समिति, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के संबंध में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगी. उत्तर फाइल करने की उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया प्रत्युत्तर के फाइल करने को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी.

(5) प्रत्येक व्यक्ति (उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति जिसको नोटिस आदेशिका आदि उत्तर प्रस्तुत करने के लिये जारी की गई हो) जो इस प्रयोजन के लिये प्रकाशित सूचना के अनुसरण में समिति के समक्ष लंबित मामले के संबंध में कोई आपत्ति या टिप्पणी फायल करने की इच्छा रखता है, वह प्राप्तिकर्ता अधिकारी को, दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के साथ आपत्ति या टिप्पणी का अभिकथन और उस प्रयोजन के लिये नियत समय के भीतर उसके समर्थन में साक्ष्य देगा.

(6) यदि अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर समिति यह विचार करती है, कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सहभागिता से मामले में कार्यवाहियों और विनिश्चय को सुकर बनाया जा सकेगा, तो वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यवाहियों में सहभागिता के लिये अनुज्ञात कर सकेगी, जिसे इसके पश्चात् "आपत्ति कर्ता" कहा जावेगा. समिति अभिकथन को उस सीमा तक अवधारित करेगी जिसके लिये आपत्ति कर्ता अभिवचनों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के हकदार हों.

(7) जब तक समिति द्वारा अनुज्ञात न किया जाए उत्तर या आपत्ति या टिप्पणी फाइल करने वाला कोई व्यक्ति, कार्यवाहियों में मौखिक निवेदन करने के लिये भाग लेने का हकदार नहीं होगा. तथापि समिति कार्यवाहियों के पक्षकारों को ऐसा अवसर प्रदान करने के पश्चात् जैसा कि समिति आपत्तियों और टिप्पणियों को कार्यवाहियों में समुचित समझे, फाइल की गई आपत्तियों और टिप्पणियों पर विचार करने के लिये हकदार होगी.

13. **समय विस्तार, मुल्तवी, सुनवाई, स्थगन आदि.**—समिति अपने समक्ष की कार्यवाहियों के लिये प्रक्रम, रीति, स्थान तथा सुनवाई की तारीख और समय अवधारित कर सकेगी,. जैसा कि वह उचित समझे,

(2) उत्तर/प्रत्युत्तर फाइल करने के समय विस्तार या सुनवाई को मुल्तवी करने का आवेदन, उत्तर/प्रत्युत्तर फाइल करने के लिये निर्धारित की गई तारीख से कम-से कम 7 दिन अग्रिम में दिया जाएगा. समय विस्तार का आवेदन तथा कार्यवाहियों में पक्षकार की अनुपस्थिति को समिति द्वारा त्रुटि के रूप में समझा जाएगा. समिति हर्जाना लगाने का आदेश दे सकेगी जैसा कि वह उचित समझे.

(3) समिति, पक्षकारों के अभिकथनों पर मामले का विनिश्चय कर सकेगी या पक्षकारों को शपथ-पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये बुला सकेगी.

(4) यदि समिति यह निदेश देती है कि पक्षकार निवेदन के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, तो समिति, यदि आवश्यकता या समीचीन समझे, तो वह दूसरे पक्षकार के मामले को स्पष्ट करने के प्रयोजन से संबंधित और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अवसर प्रदान कर सकेगी.

(5) समिति, पक्षकारों को यह निदेश दे सकेगी कि वे मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्क की टीप लिखित में प्रस्तुत करें.

14. **अग्रिम जानकारी, साक्ष्य आदि तथा अन्य मुद्दों के निदेश मंगाने की समिति की शक्ति:—** (1) समिति, किसी भी समय मामले में आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों में से किसी एक या उनमें से अधिक से ऐसे दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी, जैसी कि समिति आदेश पारित करने के लिये स्वयं को समर्थ बनाने के लिये आवश्यक समझे.

(2) कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, आयोग कार्यवाहियों के संबंध में ऐसा मुद्दा या ऐसे मुद्दे, जैसा कि यह समुचित समझे, किसी व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए किन्तु जो समिति के ऐसे अधिकारियों तथा परामर्श देने वालों तक ही सीमित नहीं होंगे जिन्हें कि समिति विशेषज्ञ, परामर्श या मत देने के लिए अर्ह समझे, निर्दिष्ट कर सकेगा.

(3) समिति, किसी व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए, किन्तु जो अधिकारी तथा परामर्श देने वाले तक ही सीमित नहीं होगा, समय-समय पर, किसी स्थान या स्थानों पर निरीक्षण के लिये जाने हेतु नामनिर्दिष्ट कर सकेगी, और उस स्थान या उसमें किसी सुविधाओं के अस्तित्व या उसकी प्रास्थिति के बारे में रिपोर्ट कर सकेगी.

(4) समिति, यदि वह उचित समझे, कार्यवाहियों के पक्षकारों को यह निदेश दे सकेगी कि वे ऊपर खण्ड (1) या (2) में यथानिहित व्यक्तियों के समक्ष उसे निर्दिष्ट मुद्दों या मामलों पर अपने-अपने विचार रखने के लिये उपस्थित हों.

(5) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त की गई रिपोर्ट या मत, मामले के अभिलेख का भाग होगी और पक्षकारों को उसकी प्रतिलिपि दी जायेगी. पक्षकार मत या रिपोर्ट पर पक्ष के समर्थन में या विरोध में अपना कथन फाइल करने का हकदार होगा.

(6) समिति, मामले का विनिश्चय करते समय किसी व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट या मत और पक्षकार द्वारा फाइल किए गए उत्तर पर विचार करेगी.

15. **किसी पक्षकार के उपस्थित न रहने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया .—**जहां सुनवाई की तारीख पर या ऐसी तारीख पर जिसको सुनवाई स्थगित की गई हो, कोई भी पक्षकार या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हो और जब मामला सुनवाई के लिये मंगाया जाए तो समिति, स्वविवेक से या तो त्रुटि के लिये याचिका को खारिज कर सकेगी या प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर सकेगी, यदि यह सिद्ध कर दिया जाता है, कि नोटिस आदेशिका या समन की तामीली प्रत्यर्थी/प्रत्यार्थियों पर सम्यक् रूप से कर दी गई थी.

16. **समिति का आदेश .—**(1) किसी भी कार्यवाही में समिति द्वारा पारित आदेश पर अध्यक्ष या उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने मामले को सुना है.

(2) समिति द्वारा जारी या संसूचित किए गए समस्त आदेश या विनिश्चय, सचिव या ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किए जा सकेंगे, जिसे अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया हो और उस पर समिति की अधिकारित मुद्रा लगी होगी.

(3) समिति के समस्त अंतिम आदेश सचिव या ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर से कार्यवाहियों के पक्षकारों को संसूचित किए जाएंगे, जिसे अध्यक्ष या सचिव द्वारा इस संबंध में सशक्त किया जाए.

17. **अंतरिम आदेश .—**समिति ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगी, जैसे कि वह कार्यवाहियों के किसी भी प्रकरण पर उचित समझें.

अध्याय-चार

अन्वेषण जांच जानकारी आदि का संग्रहण

18. समिति, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (9) के निबंधन में ऐसा आदेश या ऐसे आदेश कर सकेगी जैसा कि वह निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जानकारी के संग्रहण जांच, अन्वेषण, प्रवेश, तलाशी तथा अधिग्रहण हेतु उचित समझे:

(क) समिति, किसी भी समय, सचिव या किसी अधिकारी का परामर्शी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा निदेश दे सकेगी जैसा कि आयोग अधिनियम के अधीन समिति की परिधि के भीतर के किसी मामले के संबंध में अध्ययन, अन्वेषण या जानकारी प्रदान करने के लिये उचित समझे.

(ख) समिति, उपरोक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अन्य निदेश दे सकेगी जैसा कि वह उचित समझे और ऐसा समय विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये या जानकारी दी जाए,

(ग) समिति, किसी व्यक्ति से बहियों, लेखाओं आदि को उसके समक्ष प्रस्तुत करने तथा उनका परीक्षण अनुज्ञात करने या ऐसी जानकारी इत्यादि, जैसी कि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में यथा उपबंधित है, किसी अधिकारी को प्रस्तुत करने तथा उन्हें समिति के इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी के पास रखने के लिए सचिव या किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने का निदेश जारी कर सकेगी.

(घ) समिति, ऐसी जानकारी, विशिष्टियां या दस्तावेज जिसे समिति, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में आवश्यक समझे, एकत्रित करने के प्रयोजन के लिये ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जैसे कि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) में उपबंधित किये गये अनुसार यह आवश्यक समझे.

(ङ) यदि इन विनियमों के अधीन अभिप्राप्त की गई ऐसी कोई रिपोर्ट या जानकारी समिति को अपर्याप्त या कम प्रतीत होती हो, तो समिति या सचिव या इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी और जांच रिपोर्ट तथा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिये निदेश दे सकेगा.

(च) समिति, ऐसे आनुषंगिक परिणामिक तथा अनुपूरक मामलों के बारे में भी निदेश दे सकेगी, जिसे उपरोक्त के संबंध में सुसंगत समझा जाये.

19. समिति, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में, यदि वह उचित समझे, जांच का नोटिस जारी करने का निदेश दे सकेगी, और इन विनियमों के अध्याय-पांच में उपबंधित रीति में मामले में कार्यवाही करेगी.

20. समिति, किसी भी समय, ऐसी संस्था, परामर्शी, विशेषज्ञ और ऐसे अन्य तकनीकी या व्यावसायिक व्यक्तियों की सहायता लेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे और उनसे किसी मामले का अध्ययन, अन्वेषण, जांच करने का कह सकेगी या रिपोर्ट या रिपोर्ट जारी करने या प्रस्तुत करने या जानकारी देने को कह सकेगी. समिति ऐसे व्यावसायियों की नियुक्ति के लिये निबंधन तथा शर्तें अवधारित कर सकेगी.

21. यदि उपरोक्त विनियमों या उसके किसी भाग के रूप में रिपोर्ट या जानकारी आदि अभिप्राप्त की जाती है, जिसका कि समिति द्वारा अपना मत या दृष्टिकोण निर्भर करना किसी कार्यवाही में प्रस्तावित है, तो कार्यवाहियों में पक्षकारों को रिपोर्ट या जानकारी के बारे में आपत्ति करने और निवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा.

22. आयोग, विहित फीस के भुगतान पर और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जैसा कि समिति उचित समझे, समिति के पास उपलब्ध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां किसी व्यक्ति को उपलब्ध करा सकेगा.

No. F. 14-17-2007-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 4 of the Madhya Pradesh Niji Vyavasayik Shikshan Sansthan (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007) and all powers enabling it in that behalf, the Admission and Fee Regulatory Committee hereby makes the ADMISSION AND FEE REGULATORY COMMITTEE (TRANSACTION OF BUSINESS) REGULATIONS, namely :—

REGULATION

CHAPTER-1-GENERAL

1. **Short Title, extent and Commencement.**—(1) These Regulations may be called the Admission and Fee Regulatory Comittee (Transaction of Business) Regulations, 2008.

(2) It Shall extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** .—In these Regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Niji Vyavasayik Shikshan sansthan (Pravesh ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007. (No. 21 of 2007);

(b) "Agency" means an Statutory body, Institution/or Organisation authorized by the Government for conducting the common entrance test.

(c) "Chairman" means the Chairman of the Admission and Fee Regulatory Committee constituted ounder the Act;

(d) "Committee" means the Admission and Fee Regulatory Committee constituted under the Act;

(e) "Consultant" means a person or a team of persons, or a body corporate appointed by the committee to assist in such studies or verification as are found necessary by the committee.

(f) "Government" of "State Government" means the Government of Madhya Pradesh.

(g) "Inspection Team" means the team constituted for the purpose of inspection of infrastructure verification of facts, study of the affairs of the institution and such other purpose as entrusted to the Team.

(h) "Member" means a member of Admission and Fee Regulatory Copmittee.

(i) "Secretary" means the Secretary/Officer on Special Duty of the Admission and Fee Regulatory Committee.

(j) "Officer" means an Officer of the Committee.

(k) "Petition" means and includes all petitions, applications, complaints, appeals, replies, rejoinders, interventions, supplemental pleadings, other papers and documents relating to matters covered under the Act, Rules and Regulations made thereunder;

(l) "Proceedings" shall means and include proceedings of all nature that the Committee may hold in the discharge of its function under the Act.

(m) "Receiving Officer' menans an officer designated by the Chairperson to receive Petition.

(o) words and expressions used in these Regulations but not dedfined hereinabove shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER II

HEADQUARTERS OFFICES ETC

1. **Committee's offices, office hours and sittings.**—(1) The place of the offices of the Committee may from time to time be as per order in this behalf as notified by the Chairman/Secretary.

(2) Unless otherwise directed, the headquarters and other offices of the Committee shall be open daily except on second and third Staurdays, of each month. Sundays and Government, holidays as notified by the Government of Madhya Pradesh. The headquarters and other offices of the Committee shall be open at such times as the Committee may direct.

(3) Where the last day for doing any business falls on a day on which the office of the committee is closed and by reason thereof the business cannot be transacted on that day, it may be done on the next day on which the office is open.

(4) The committee may hold sittings for hearing matters at the headquarters or at any other place on days and time to be specified by the Chairman.

4. **Language of the Committee.**—(1) The proceedings of the Committee shall be conducted either in English or in Hindi. All petitions shall be submitted in Hindi or English.

(2) Any document or other matters contained in any language other than Hindi or English may be accepted by the Chairman only if the same is accompanied by a translation thereof in Hindi or English.

Explanation : A translation which is gagreed to by the parties to the proceedings or which one of the parties may furnish with an authenticity certificate of the person who had translated it to Hindi or English may be accepted by the Committee. in appropriate cases, as a true translation.

(3) Recognition of Associations of the Committee may permit any association of Students, Teachers or other bodies corporate or any group or concerned persons to participate in any proceedings before the Committee.

CHAPTER III

REGULATIONS CONCERNING THE PROCEEDINGS BEFORE THE COMMITTEE

5. **Proceedings etc. before the committee.**—The Committee may from time to time. hold hearings meetings discussions, deliberations inquiries, investigations and consultations as the Committee may consider appropriate in the discharge of its functions under the Act. The Secretary and other officer or any person whom the Committee may appoint may participate and assist the Committee in its proceedings.

6. Quorum.—(1) The minimum quorum for the proceedings before the Committee shall be presence of three members out of five.

(2) No member shall exercise his vote on a decision unless he is present during all the hearings of the Committee on such matter.

7. Initiation of proceedings.—(1) The Committee may initiate proceedings *suo moto on a* petition filed by any affected person.

(2) A party to the proceedings may either appear himself or through a close relation duly authorized by him in writing in prescribed form.

(3) When the Committee initiates the proceedings in respect of any matter it shall be by a notice issued by the office of the committee and the committee may give such orders and directions as may be deemed necessary for service of notice to the affected parties for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of the matter in issue or for other matters relating to conduct of the proceedings. The Committee may, if it considers appropriate publish a notice inviting comments on the issue involved in the proceedings in such form as the committee may direct.

8. Petitions and pleadings before the committee.—(1) All petitions to be filed before the Committee shall be typewritten cyclostyled or printed neatly and legibly on one side of white paper and every page shall be consecutively numbered. The committee may accept petitions filed with Computer Disk or through electronic media on such terms and conditions as the committee may specify. The contents of the petition should be divided appropriately into separate paragraphs, which shall be numbered serially. The petition shall be accompanied by such documents and statement as the Committee may specify.

(2) Every affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age. occupation and address of the deponent and the capacity in which he is signing and shall be signed and sworn before a person lawfully authorized to take and receive affidavit.

(3) Every affidavit shall clearly and separately indicate the statements' which are true to the:—

(a) Knowledge of the deponents;
(b) information received by the deponent;
(c) belief of the deponent.

(4) Where any statement in the affidavit is stated to be true to the information received by the deponent~ the affidavit shall also .disclose the source of the information and include a statement that the deponent believes that information to be true.

9. Presentation and scrutiny of the pleadings, etc.—(1) All petitions shall be filed in such number of copies as the Committee may specify and each set of the petition shall be complete in all respects.

(2) All petitions shall be presented before the receiving officer. in person or by any duly authorized representative at the headquarters and during the time notified. The petitions may also be sent by registered post, acknowledgement due to the committee at the places mentioned above. Where the petitions are presented by an authorized representative the document authorizing the representatives shall be filed alongwith the petition.

(3) Upon the receipt of the petition. Receiving Officer shall stamp and endorse the date on which the petition has been presented and shall issue an acknowledgement with stamp and date,. to the person filing the petition. In case,. the petition is received by registered post the date on which the petition is actually received at the office of the Committee shall be taken as the date of the presentation of the petition.

(4) The presentation and receipt of the petition shall be duly entered in the register to be maintained for the purpose by the Committee.

(5) The Secretary may reject any petition. which does not confirm to the provisions of the Act or the Regulations or directions given by the Committee or is otherwise defective or other wise than in accordance with the regulations or directions of the Committee:

Provided that no petition shall be rejected for defect in it, the pleadings or in the presentation, without given an opportunity to the person filing it to rectify the defect within the time specified for, the purpose. The secretary shall advise. in writing the persons filing the petition about the defects in the petition filed within a reasonable time.

(6) The Chairman or any member, whom the Chairman may designate for the petitioner or the Secretary shall be entitled to call for., the petition presented by the purpose and give such directions regarding the presentation and acceptance of the petitions as he considers appropriate.

10. **Admission and Registration of a case.**—(1) If on scrutiny, the petition is found to be fit for consideration, it shall be duly registered and should be allotted a number,. in the manner to be specified by the Committee.

(2) After the petition has been scrutinized and numbered the petition shall be put up before the committee.

(3) On perusal of petition the Secretary may call for any additional information/documents which it considers necessary for a decision on the petition,

(4) The Committee may admit the petition without requiring the attendance of the petitioner. The committee shall not pass an order refusing admission without giving the petitioners an opportunity of being heard. The Committee may issue notice to such other person(s) as it may consider appropriate to hear on admission of the petition.

(5) If the Committee admits the petition, it may give such orders and directions, as if it may deem necessary for service of notices to respondent(s) and other affected parties for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of the petition in such form as the Committee may direct.

11. **Service of notices and processes issued by the Committee.**—(1) Any notice or process or summons to be issued by the Committee may be served by any one or more of the following modes :—

(a) Service it to the party itself in person;
(b) by hand delivery through a messenger including a courier service;
(c) by registered post/speed post with acknowledgement due;
(d) by publication in newspaper in cases where the committee is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notices processes etc. to any person in the manner mentioned above and;
(e) in any other manner as considered appropriate by committee.

(2) Every notice or process may be sent to the person or his authorized representative at the place where the person or his representative ordinarily resides.

(3) If in any matter pending before the Committee, the petitioner, the respondent or the intervener has authorized a close relative to appear on his behalf, such representative shall be deemed to be duly empowered to take service of the notices and processes on behalf of the party concerned representative. so authorized will require prior approval of the Committee.

12. **Filling of reply, opposition objections etc.**—(1) Each person, wko intends to oppose or support, shall file the reply and documents relied upon within such period and in such number of copies as may be fixed by the Committee. In the reply filed, he will specifically admit, deny or explain the facts stated in the petition and may also State such additional facts as he considers necessary. The reply shall be signed, verified and supported by affidavit in the same manner as in the case of the petition.

(2) The respondent shall serve a copy of the reply, alongwith the documents duly attested to be true copies, on the petitioner or his authorized representative and file proof of such service with the office of the Committee at the time of filing the reply.

(3) The petitioner may file rejoinder to the reply of respondent and documents relied upon within such period & in such number of copies as may be fixed by the committee. In such a case the petitioner will furnish a rejoinder along with the documents duly attested to be true copies on the respondent or his authorized representative and file a proof or such service with the office or the committee at the time of filing the rejoinder.

(4) Where the respondent states additional facts as may be necessary for the just decision of the case, the committee may allow the petitioner to file a rejoinder to the reply filed by the respondents. The procedure mentioned above for filing of the reply shall apply *mutatis mutandis* to the filing of the rejoinder.

(5) Every person who intends to file objection or comments in regard to a matter pending before the Committee pursuant to the notice published for the purpose (other than the persons to whom notices, processes etc. have been issued calling for reply) shall deliver to the Receiving Officer the statement of the objection or comments with copies of the documents and evidence in support thereof, within the time fixed for the purpose.

(6) If, on the report received from the officer, the Committee considers that the participation of any person or person will facilitate the proceedings and the decision in the matter, it may permit such person or persons, to participate in the proceedings, hereafter called an 'intervener'. The Committee shall determine the statement the extent to which interveners shall be entitled to receive copies of the pleadings.

(7) Unless permitted by the Committee, the person filing a reply or objection or comments shall not be entitled to participate in the Proceeding to make oral submission. However the Committee shall be entitled to take into account the objections and comments filed after giving such opportunity to the parties in the proceedings as the Committee considers appropriate to deal with the objections and comments.

13. Time extension, postponement, hearing and adjournment.—(1) The committee may determine the stages, manner the place the date and the time of the hearing in proceedings before it as the Committee considers appropriate.

(2) The application for time extension in filing reply/rejoinder or postponement of hearing shall be made at least 7 days in advance of the date fixed for filing of reply/rejoinder. Without seeking time extension or absence of a party from the proceedings will be considered by the committee as a default. The committee may make such order as to cost as the committee may deem fit.

(3) The Committee may decide the matter on the pleadings of the parties or may call for the parties to produce evidence by way of affidavit.

(4) If the Committee directs evidence of a party to be led by way of submission the committee may, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party to adduce further submission relating to the matter needing clarification.

(5) The Committee may direct the parties to file in writing, a note of arguments of submission in the matter.

14. Power of the committee to call for further information, evidence etc. and Reference of issue to others.—(1) the committee may at any time before passing orders on the matter require the parties of any one or more of them to produce such documentary or other evidence as the committee may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.

(2) At any stage of the proceedings, the commission may refer such issue or issues in the proceedings as it considers appropriate, to person including but not limited to the Officers and consultants of the committee whom the committee considers as qualified to give expert advice or opinion.

(3) The committee may nominate from time to time any person including but not limited to the offices and consultants to visit any place or places for inspection and report on the existence or status of the place or any facilities therein.

(4) The committee, if it thinks fit, may direct the parties to the proceedings to appear before the persons designated in clause (1) or (2) above to present their respective views on the issues or matters referred to him.

(5) The report or the opinion, received from such person, shall form a part of the record of the case and the parties shall be given the copies thereof. The parties shall be entitled to file their version either in support or in opposition to the report of the opinion.

(6) The committee shall duly take into account the report or the opinion given by the person and the reply filed by the parties while deciding the matter.

15. **Procedure to be followed where any party does not apear**.—Where on the date fixed for hearing or any other date to Which such hearing may be adjourned, any of the party or his authorized representative does not appear when the matter is called for hearing, the committee may, in its discretion, either dismiss the petition for default or proceed exparte against the respondent(s) if it is proved that the notice, processes or summons had been duly served on the respondents(s).

16. Orders of the committee.—(1) Orders passed by the committee in any proceedings, shall be signed by the Chairman and those who heard the matter.

(2) All orders and decisions issued or communicated by the committee shall be certified under the signature of the Secretary or an officer empowered in this behalf by the Chairman and bear the official seal of the committee.

(3) All final orders of the committee shall be communicated to the parties in the proceeding under the signature of the Secretary or an officer empowered in this behalf by the Chairman or the Secretary.

17. **Interim Orders.**—The committee may pass such interim orders as it may consider appropriate at any stage of proceedings.

CHAPTER—IV
INVESTIGATION, INQUIRY, COLLECTION OF INFORMATION ETC.

18. **Investigation, inquiry, collection of information etc.**—The committee may make such order or orders as it thinks fit in terms of sub Section (9) of Section 4 of the Act for collection of information, inquiry, investigation, entry, search, seizure and without prejudice to the generality of its powers in regard to the following:—

(a) The committee may, at any time, direct the Secretary or an officer or consultants or any other person as the commission considers appropriate to study, investigate or furnish information with respect to any matter within the purview of the committee under the Act.

(b) The committee may, for the above purpose give such other directions as it may deem fit and specify the time within which the report is to be submitted or information furnished.

(c) The committee may authorize to Secretary or an officer to issue directions to any person to produce before him and allow him to be examined specified in this behalf, the books, accounts or to furnish to an officer information, etc. as requested in sub Section (4) of Section 4 of the Act.

(d) The committee may, for the purpose of collecting any information, particulars or documents which the committee consider necessary in connection with discharge of its functions under the Act, issue such directions as may be considered necessary, as provided for in Sub Section (6) of Section 4 of the Act.

(e) If any such report or information obtained under these Regulations appears to the committee to be insufficient or inadequate, the committee or the Secretary or an Officer authorized for the purpose may give directions for the further enquiry, report and furnishing of required information.

(f) The committee may direct such incidental, consequential and supplemental matters be attended to which may be considered relevant in connection with the above.

19. In connection with the discharge of its functions under the Act the committee may, if it thinks fit, direct a notice of inquiry to be issued and proceed with the matter in a manner provided under Chapter V of these Regulations.

20. The committee may, at any time, take the assistance of any institution, consultants, experts and such other technical and professional persons, as it may consider necessary and ask them to study, investigate, inquire into any matter or issue and submit report or reports or furnish any information. The committee may determine the terms and conditions for engagement of such professionals.

21. If the report or information obtained in terms of the above Regulations or any part thereof, is proposed to be relied upon by the committee for forming its opinion or view in any proceedings, the parties in the Proceedings shall be given a reasonable opportunity for filing objections and making submissions on the report of information.

22. The commission may, on payment of prescribed fees & on such terms and conditions as the committee considers appropriate, provide the certified copies of the documents and papers available with the committee to any person.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.